CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बेसिक शिक्षा

शि॰
१३८

लेखक
चाँदनारायण हाँगल

शिक्षण
हाथ पुस्तिका २

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बेसिक शिक्षा

एक अध्ययन

लेखक—
चाँदनारायण हाँगल
भूतपूर्व आचार्य, गवर्नमेंट बेसिक ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ

प्रकाशक
सर्वोदय साहित्य प्रकाशन
वाराणसी

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

प्रकाशक
सर्वोदय-साहित्य-प्रकाशन
बुलानाला, वाराणसी

प्रथम संस्करण : १०००
२२ दिसम्बर '५९
द्वितीय संस्करण : २०००
जून, '६०

मुद्रक
जीवन-शिक्षा मुद्रणालय
बुलानाला, वाराणसी

अध्ययन के सूत्र

१ बेसिक शिक्षा क्या है
२ बेसिक शिक्षा का मूल्यांकन
३ निरीक्षण और नियंत्रण
४ बेसिक अध्यापकों का शिक्षण
५ कृषि-अध्यापकों का शिक्षण
६ अध्यापन-कार्य
७ बेसिक स्कूलों की दिनचर्या
८ कुछ स्पष्टीकरण
९ बेसिक शिक्षा की समस्याएँ
१० बहु-उद्देशीय स्कूल
११ समन्वय क्यों और कैसे
१२ बेसिक शिक्षा में समवाय
१३ बेसिक शिक्षा में सामान्य विज्ञान का महत्व
१४ सामाजिक शिक्षा
१५ आधारित प्रश्न
१६ उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

— ୮. ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା. ଅଗଷ୍ଟ ୫୮ ପୃଷ୍ଠା ୨୪-୨୫

— ୧୧. ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା. ନଭେ-୫୮ ପୃଷ୍ଠା. ୨୭-୨୮

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

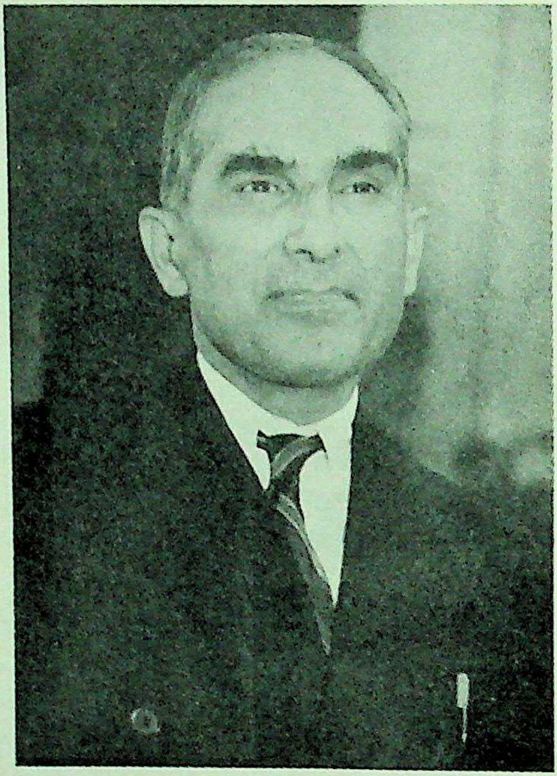

चाँदनारायण हाँगल

स्व० चाँदनारायण हाँगल बेसिक शिक्षा के विशेषज्ञों में प्रमुख थे। वे अत्यन्त सफल अध्यापक थे। अपनी कर्तव्य-निष्ठा, सहृदयता और सज्जनता के कारण वे अपने छात्र, सहयोगी और सबके श्रद्धा-भाजन थे।

चन्द्रमोहन नाथ चक
१८-१२-५९ शिक्षासंचालक
उत्तरप्रदेश

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

परिचय

स्वर्गीय पं० चाँदनारायण हाँगल का जन्म सन् १९०३ ई० में कश्मीरी ब्राह्मण-कुल में प्रयाग में हुआ था। आपके पिता का नाम पं० इकबाल नारायण हाँगल तथा माता का नाम राधिका रानी हाँगल था। ये लोग बहराइच के रहने वाले थे और वहाँ से नौकरी के सिलसिले में प्रयाग आ गये थे।

हाँगल साहब बचपन से ही सीधे और सरल स्वभाव के थे और आजीवन शान्त प्रकृति के बने रहे। वे विपत्ति में भी घबराते नहीं थे। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा लखनऊ में हुई और वहीं के कालीचरन हाई स्कूल से आपने मैट्रिक पास किया। इसके बाद पिता के स्थानान्तरण के कारण आपने बरेली कालेज, बरेली से इन्टर की परीक्षा पास की, परन्तु बी० ए० करने के लिए पुनः लखनऊ आ गये और लखनऊ विश्वविद्यालय से १९२५ में बी० एस-सी० की परीक्षा पास की। विज्ञान आपका प्रिय विषय था। लखनऊ विश्वविद्यालय से ही आपने सन् १९२७ में एम० एस-सी० की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। हाँगल साहब बचपन से ही कुशाग्र-बुद्धि थे और स्कूल की परीक्षाओं में सदा सम्मानपूर्वक उत्तीर्ण होते रहे।

१९२७ ई० में एम० एस-सी० पास करने के बाद आपने एकाउण्टेन्सी की परीक्षा पास की और उसी वर्ष एक कार्यालय में नौकरी कर ली। हाँगल साहब जन्मजात अध्यापक थे। अपने विद्यार्थी-जीवन में बड़े अच्छे खिलाड़ी भी थे। अतः कार्यालय की नौकरी आपके लिए रुचिकर नहीं सिद्ध हुई। इस काम में आपका मन नहीं लगा और दो वर्ष के बाद ही आपने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद आपने वाराणसी के उदय प्रताप कालेज में अध्यापकी कर ली। यहीं से हाँगल साहब का अध्यापक-जीवन प्रारम्भ होता है।

उदय प्रताप कालेज में कुछ दिन नौकरी करने के बाद हाँगल साहब के हितैषियों ने उन्हें सलाह दी कि वे एल० टी० कर लें। परन्तु बिना नौकरी छोड़े यह सम्भव नहीं था। अतः कालेज की नौकरी छोड़कर आप राजकीय ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद में भरती हो गये। ऊपर कहा जा चुका है कि

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

श्री हाँगल जन्मजात अध्यापक थे । अतः सन् १९३४ में आपने जब एल० टी० की परीक्षा पास की तो शिक्षण में उन्हें प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई ।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हाँगल साहब राजकीय इन्टर कालेज, झाँसी में लेक्चरर के पद पर नियुक्त हो गये । आप उच्च कोटि के अध्यापक तो थे ही, सरल स्वभाव के होने के कारण शीघ्र विद्यार्थियों के प्रिय बन गये और उस समय के उनके विद्यार्थी आज भी उन्हें श्रद्धा और आदर से स्मरण करते हैं । हाँगल साहब अच्छे खिलाड़ी थे । झाँसी में आप विश्वविख्यात 'झाँसी हीरोज' नाम के झाँसी के हाकी क्लब के सेक्रेटरी हो गये । इसी क्लब से संसार के सबसे प्रसिद्ध हाकी के खिलाड़ी ध्यानचंद और रूपचंद खेलते थे । झाँसी में हाँगल साहब ने एक काम और किया जिसके लिए वे शीघ्र उत्तर प्रदेश में प्रख्यात हो गये । यहाँ रहते हुए उन्होंने एक 'वोटिंग मशीन' बनायी जिसकी विशेषता यह थी कि इस मशीन का इस्तेमाल करने से वोटिंग का फल वोटिंग समाप्त होने के तुरत बाद जाना जा सकता था । अर्थाभाव के कारण वे इस मशीन में इतना सुधार न कर पाये, जिससे उसका बड़े पैमाने पर प्रयोग हो पाता । पर यदि यह सम्भव हुआ होता तो देश का बहुत बड़ा लाभ होता, इसमें कोई सन्देह नहीं । इस मशीन को बनाने में सरकार ने भी इन्हें सहायता दी थी ।

अपने इस आविष्कार के कारण हाँगल साहब ने शिक्षा-विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कर लिया और १९३७ में सरकार ने आपको इंगलैंड जाने के लिए छात्रवृत्ति दी । शिल्प-शिक्षण के अध्ययन के लिए आपको दो वर्ष के लिए यह छात्रवृत्ति मिली थी और इस सिलसिले में आप इंगलैंड गये भी; पर द्वितीय यूरोपीय महायुद्ध के छिड़ जाने के कारण वे १४ महीने के बाद ही देश लौट आये ।

इस समय तक देश में बेसिक शिक्षा का प्रारम्भ हो गया था और भारत के जिन प्रान्तों में कांग्रेस-मंत्रिमण्डल काम कर रहा था, उनमें किसी न किसी रूप में बेसिक शिक्षा प्रारम्भ भी हो गयी थी । अतः इंगलैंड से लौटने पर आपको उत्तर प्रदेश के एकमात्र पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद में अध्यापन का कार्य मिल गया और वे क्राफ्ट के प्राध्यापक नियुक्त किये गये । इस कालेज में आपने १९४० से १९४७ तक कार्य किया और अन्तिम चार वर्षों में इस संस्था के उप-प्रधानाचार्य भी रहे । इस प्रकार श्री हाँगल ने उत्तर प्रदेश

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

की बेसिक ट्रेनिंग की प्रारम्भिक अवस्था में ही उसे अपनी प्रतिभा से सँवारा और दृढ़ बनाया। पदोन्नति होने के कारण आप कुछ वर्षों तक नार्मल स्कूल, हरदोई, राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल, कानपुर और क्वीन्स कालेज, वाराणसी के प्रधानाध्यापक भी रहे; पर आप शीघ्र ही फिर बेसिक ट्रेनिंग कालेज के जिसका स्थानान्तरण लखनऊ हो गया था, प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिये गये। इस बीच बेसिक ट्रेनिंग कालेज के साथ कान्स्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज नाम की एक संस्था और संलग्न हो चुकी थी। श्री हाँगल इन दोनों सम्मिलित संस्थाओं के प्रधानाचार्य बने और २२ दिसम्बर सन् १९५८ तक, जिस दिन आपका देहान्त हुआ, आप इसी पद पर आसीन रहे।

हाँगल साहब का विवाह सन् १९२५ में ही ग्वालियर में कुमारी राजवंती किचलू (श्रीमती चन्द्रमोहनी हाँगल) से हुआ था। आपका पारिवारिक जीवन सुखी था। अपने पीछे आप दो पुत्रियाँ, एक पुत्र और अपनी विधवा पत्नी को छोड़ गये हैं। सबसे बड़ी पुत्री कुमारी रमा हाँगल, बी० ए०, एल० टी० 'बेसिक' हैं और आजकल राजकीय महिला नार्मल स्कूल, प्रयाग में अध्यापन कर रही हैं। छोटी पुत्री कुमारी प्रभा हाँगल प्रयाग में ही एल० टी० कर रही हैं और पुत्र श्रीप्रकाश हाँगल ओवरसियर हैं। हाँगल परिवार इस समय प्रयाग में ही रह रहा है।

—श्रीमती चन्द्रमोहनी हाँगल

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

भूमिका

श्री चाँदनारायण हाँगल के निधन से उत्तर प्रदेश ने बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख विशेषज्ञ खो दिया है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा का जो रूप विकसित हुआ है, हाँगल साहब का उनसे आरम्भ से सम्बन्ध रहा था। २२ अगस्त १९३८ ई० को इलाहाबाद में पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग कालेज की स्थापना हुई। बेसिक शिक्षा उद्योग-मूलक है। वह उद्योग के माध्यम से बालक को शिक्षा देने की बात कहती है। अतः इंगलैंड के स्कूलों में उद्योग अथवा हाथ के काम के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति पानेवाला विद्यार्थी जब द्वितीय महायुद्ध के कारण इंगलैंड से अपने अध्ययन को अधूरा छोड़ कर लौट आया, तो उसे बेसिक ट्रेनिंग कालेज में ही काम करने के लिए कहा गया। तब से, अर्थात् सन् १९४० से, हाँगल साहब उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के अभिन्न अंग बन गये। इस शिक्षा के प्रत्येक मोड़ से उनका घनिष्ठ परिचय था, इसका प्रत्येक विकास उनकी देन थी और इसका अंग-प्रत्यंग उनका सँवारा हुआ था। वे उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के 'प्रधान पुरोहित' कहे जाते थे। किसी का 'व्यंग' उनका 'परिचय' बन गया था।

सन् १९४७ तक हाँगल साहब डाक्टर इबादुर्रहमान खाँ प्रधानाचार्य, बेसिक ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद के दाहिने हाथ होकर रहे। उस कालेज में बेसिक शिक्षा का जो रूप बना उसे बनाने में यदि किन्हीं दो व्यक्तियों का सबसे अधिक हाथ था तो वह स्वर्गीय मनोहर लाल और हाँगल साहब का। इसके बाद सरकारी नौकरी के प्रतिबंधों के कारण, पदोन्नति के कारण, हाँगल साहब नार्मल स्कूल के हेडमास्टर बने। वहाँ उन्हें बेसिक ट्रेनिंग कालेज के अनुभवों को कार्यरूप में परिणत करने का अवसर मिला। जिन्होंने हरदोई के उनके नार्मल स्कूल को देखा है वे गवाही देंगे कि इस संस्था को आदर्श बेसिक प्रशिक्षण संस्था बनाने में वे पूर्णतः सफल हुए।

हरदोई से हाँगल साहब इलाहाबाद में नये खुले हुए काँस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज के प्रधानाचार्य होकर लौट आये। यह कालेज हाई स्कूल के पाठचक्रम के रचनात्मक वर्ग के विषयों, कृषि, कताई-बुनाई, बुकक्राफ्ट, लकड़ी का काम,

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

चर्मकारी, औद्योगिक रसायन शास्त्र आदि में ट्रेन्ड अध्यापक तैयार करने के लिए खोला गया था। इस समय तक ये विषय हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में आ गये थे और इनके अध्यापन के लिए प्रशिक्षित अध्यापक तैयार करने के लिए कोई संस्था नहीं थी। अतः इस कालेज की संस्थापना शिक्षा-जगत में शिल्प के महत्व की स्वीकृति थी और हाँगल साहब का इसका प्रधान बनकर आना भी इस बात की स्वीकृति थी कि उक्त पद के लिए उनसे बढ़कर योग्य दूसरा व्यक्ति उस समय उत्तर प्रदेश में नहीं था। इस कथन की इस बात से पुष्टि होती है कि जब कुछ वर्षों के बाद किन्हीं कारणों से उन्हें यहाँ से हटना पड़ा तो अन्त में उन्हें ही इस काम के लिए बुलाना पड़ा। इस समय तक यह रचनात्मक प्रशिक्षण संस्था लखनऊ जा चुकी थी। कुछ दिन के बाद जब बेसिक ट्रेनिंग कालेज का मेल इलाहाबाद के पुराने ट्रेनिंग कालेज से नहीं हुआ, तो उसे भी लखनऊ स्थानान्तरित कर दिया गया और हाँगल साहब अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक इन दोनों सम्मिलित संस्थाओं के प्रधानाचार्य बने रहे, और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि इस काम के लिए इस प्रदेश में उनसे अधिक योग्य दूसरा व्यक्ति नहीं था।

किसी शिल्प की प्रक्रिया में हाँगल साहब की अचूक अंतर्दृष्टि थी। चाहे बुकक्राफ्ट हो, चाहे लकड़ी का काम हो, चाहे औद्योगिक रसायन-शास्त्र हो अथवा कताई-बुनाई या सेरेमिक्स हो, हाँगल साहब की इन सभी शिल्पों की प्रक्रियाओं में समान गति थी और जब वे इनकी व्याख्या करते थे अथवा उनके शिक्षण के शास्त्रीय पहलू पर विचार करते थे अथवा स्कूलों में उनके शिक्षण की दृष्टि से उनके यंत्रों और उनकी पद्धतियों और प्रक्रियाओं में सुधार की बात करते थे तो विशेषज्ञों को भी उनका लोहा मानना पड़ता था। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि इस प्रदेश में वही एक ऐसे शिक्षा-शास्त्री थे जो शिल्पों के भीतर घुसकर उनके शैक्षणिक रूप का उद्घाटन करने में समर्थ थे। वे बोलते कम थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनका तर्क अकाट्य होता था। स्वयं काम करके प्राप्त किया अनुभव उनके तर्क को बल देता था। बीस वर्ष तक हाँगल साहब उत्तर प्रदेश की सामान्य शिक्षा में उद्योगों की शिक्षा की आवश्यकता और महत्त्व की वकालत करते रहे।

हाँगल साहब लेखक नहीं थे, कार्यकर्ता थे। बेसिक शिक्षा पर जितना उन्होंने मनन किया उतना लिखा नहीं। जो कुछ लिखते भी थे अंग्रेजी में।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बेसिक शिक्षा पर प्रदेश के लिए और प्रदेश के बाहर के लिए न जाने उन्होंने कितनी रिपोर्टें लिखी हैं। अखिल भारतीय बेसिक शिक्षा सम्मेलनों में पढ़ी जाने वाली उत्तर प्रदेश की अधिकांश रिपोर्टें उन्होंने ही लिखी थीं। इस प्रकार के सम्मेलनों में सदा वे ही उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि होकर जाते थे। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की व्याख्या लोगों ने उन्हीं के मुँह से सुनी थी। अन्तिम तीन-चार सम्मेलनों में मुझे भी उनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहाँ सब उनको जानते-मानते थे। अखबारों में उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा का जो भी विरोध हुआ हो, इन सम्मेलनों और सेमीनारों में हाँगल साहब के मधुर व्यक्तित्व के कारण कभी किसी ने उत्तर प्रदेश का विरोध नहीं किया, कभी किसी ने व्यंग नहीं किया। रिपोर्टें वे लिखते अंगरेजी में थे और रंगमंच पर इस अंगरेजी की प्रति को सामने रख कर पूरे आत्मविश्वास के साथ हिन्दी में बोलते थे। मैंने कई बार उनसे कहा कि मैं उन्हें हिन्दी में अनूदित कर दूं, जिससे पढ़ने में सहूलियत हो, पर उन्होंने कभी नहीं माना और सदा बिना रुके इस प्रकार पढ़ते गये मानो रिपोर्ट हिन्दी में ही लिखी हो।

उनकी इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर शिक्षा-विभाग ने इस वर्ष 'उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा की प्रगति' नाम की पुस्तिका प्रकाशित की है। उनकी लिखी हुई एक ऐसी रिपोर्ट का अनुवाद इस पुस्तक में छपा है। इस लेख से उत्तर प्रदेश की बुनियादी शिक्षा की प्रगति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है। उनके दूसरे लेख जो इस पुस्तक में छपे हैं अधिकांश अनुवाद ही हैं। कुछ का अनुवाद 'तरुण भाई' ने किया है और कुछ का हाँगल साहब के पुराने सहयोगी श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित ने। इन लेखों के पढ़ने से मालूम हो जायगा कि हाँगल साहब बेसिक शिक्षा के सच्चे रूप को कितनी अच्छी तरह समझते थे और उनके कार्यान्वयन में उनकी कितनी गति थी। संहोसरा (गुजरात) की १९५४ की अखिल भारतीय नयी तालीम की कांफ्रेन्स के बाद बेसिक शिक्षा की संकल्पना के सम्बन्ध में उनके विचार बदले और वे उसके सामुदायिक और उत्पादक पहलू में अधिकाधिक विश्वास करने लगे थे। इन लेखों से उनका यह विश्वास साफ झलकता है। यदि वे जीवित रहते तो सम्भवतः इन विचारों को कार्यरूप में परिणत कर उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा का भला कर पाते, किन्तु नियति को कुछ और ही मंजूर था।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

अस्तु; मैं "जीवन-शिक्षा" के सम्पादक 'तरुण भाई' का अत्यन्त आभारी हूँ, जिनकी कृपा से हाँगल साहब के बिखरे लेखों और विचारों को पुस्तक का रूप मिला है। यह पुस्तक हाँगल साहब के सम्बन्धियों, मित्रों, साथियों तथा छात्र-छात्राओं के सन्तोष का कारण होगी, यह जानकर मुझे सुख है।

वंशीधर
प्रधानाचार्य
बे० ट्रे० कालेज, वाराणसी

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

: १ :

बेसिक शिक्षा क्या है

१—बेसिक शिक्षा एक प्रगतिशील शिक्षापद्धति है। इसमें लड़के को एक-दो हाथ के काम सीखने पड़ते हैं। इन्हीं कामों के जरिये उसे स्कूल के दूसरे विषय पढ़ाये जाते हैं। यदि इन उद्योगों की शिक्षा वैज्ञानिक ढंग से हो तो दूसरे विषयों को आप ही पढ़ाया जा सकता है। यदि किसी स्कूल में खेती का काम बताया जा रहा है तो यह जरूरी है कि खेती की हर क्रिया अच्छी तरह वैज्ञानिक ढंग से करायी जाय। अगर ऐसा किया जा रहा है तो समवाय (कोरिलेशन) आप से आप होता रहेगा। गांधी जी ने भी यही कहा था कि उद्योग का 'क्यों और कैसे' ही समवाय है। जहाँ खाली उद्योग की शिक्षा होती है वह स्कूल बेसिक स्कूल नहीं है। जहाँ खाली भाषा, गणित, विज्ञान वगैरह विषय ही पढ़ाये जाते हैं वह स्कूल भी बेसिक स्कूल नहीं है। जहाँ स्कूल के सब विषयों की शिक्षा उद्योग के माध्यम से दी जाती है वह बेसिक स्कूल है।

२—दूसरी बात यह है कि स्कूल में जो भी हाथ का काम किया जाय वह उत्पादक हो। कोई भी काम, जो उत्पादक हो, समाज के लिए जिसका उपयोग हो और जिससे जिन्दगी की खास-खास जरूरतें पूरी होती हों, लेना चाहिए। ऐसा काम जो खाली खिलवाड़ हो और जिसमें बालक को कुछ करना तो पड़ता हो परन्तु जिसे करने से बच्चों के या बच्चे जिस समाज में रहते हैं उस समाज के उपयोग की कोई चीज पैदा नहीं होती तो वह काम बेसिक स्कूल का मुख्य या गौण उद्योग नहीं बन सकता। इसीलिए उत्पादन को स्कूल में चाहे लक्ष्य न रखा जाय परन्तु ऐसे ही हाथ के काम या उद्योग-धन्धे चुने जायँ जो उत्पादक हों। फिर इन धन्धों को वैज्ञानिक ढंग से कराया जाय। उत्पादन तो आप से आप होगा। हमें उत्पादन के फेर में नहीं पड़ना है पर उद्योगों की पढ़ाई का काम ठीक-ठीक हो। कितने समय में कितना काम करना है अगर इसका लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाय तो उत्पादन तो आप ही होगा। मैंने बेसिक

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बेसिक शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में पन्द्रह साल काम करके यह सीख लिया है कि जब तक उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित नहीं होते, हाथ के काम की ठीक-ठीक वैज्ञानिक शिक्षा नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में सबसे बड़ा दोष यही है कि वहाँ काम का लक्ष्य (target work) नहीं रखा गया है। पाठ्यक्रम में काम का लक्ष्य रख दिया जाय तो बहुत बड़ा काम हो जायगा। तब हाथ का काम खिलवाड़ी न होकर सोद्देश्य हो जायगा। उस वक्त मास्टर उसे ठीक पढ़ायेगा और उत्पादन भी होगा और कच्चे माल की बरबादी बचेगी। जो बालक काम करते हैं उनक शक्ति के अनुसार अगर उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित कर लिये जाते हैं तो उत्पादन-पहलू पर जोर देने और बच्चे के शोषण की बात नहीं उठती। स्कूल में जोर तो हमेशा सिखाने पर अर्थात् शैक्षणिक पहलू पर ही दिया जायगा क्योंकि स्कूल कभी कारखाने नहीं बन सकते। बेसिक शिक्षा की योजना तो सामान्य शिक्षा की योजना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उत्पादन को अनिवार्य न मानकर संयोग (incidental) मान लिया गया है। मेरा कहना है कि संयोग ही सही, पर उत्पादन होगा जरूर। उत्पादक उद्योग चुने जायँ और उनकी वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाई हो तो उत्पादन न होगा तो क्या ह गा ? यह झगड़ा शब्दों का झगड़ा है।

३—तीसरी बात यह है कि बेसिक शिक्षा कोरी शिक्षा-पद्धति नहीं है। मान लीजिये कि एक स्कूल में समाजोपयोगी उत्पादक उद्योग शिक्षा का माध्यम है और उसकी शिक्षा भी बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से हो रही है तो क्या वह स्कूल बेसिक स्कूल कहा जायगा ? मेरा विचार है—नहीं। बेसिक स्कूल तो उसे तभी कहा जायगा जब वहाँ के विद्यार्थी एक खास तरह का सामुदायिक जीवन बिता रहे हों। अपना सब काम वे अपने हाथ से करते हों। बिना किसी भेद-भाव के साथ-साथ खाते-पीते हों। गांधी जी बेसिक शिक्षा से एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जिसमें वर्ग-भेद और शोषण न हो। सब उत्पादन करें और समान वितरण हो। इसलिए उन्होंने बेसिक शिक्षा के मूल में उत्पादक उद्योग-धन्धे को रखा, जिसे सब बालक-बालिका बिना किसी भेद-भाव के करें जिससे सबमें उत्पादन करने की क्षमता आये और शोषण की प्रवृत्ति रुके। इसलिए बेसिक स्कूल को अहिंसक समाज होना चाहिए। उसका संगठन प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ऐसे स्कूल का दैनिक कार्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाय कि उससे शोषण-विहीन वर्गभेद-मुक्त समाज के लिए नागरिक तैयार हों।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

४—बेसिक स्कूल के बारे में मेरा एक विचार और है। उसमें आजकल की तरह इम्तहान नहीं होना चाहिए। इम्तहान हों पर इम्तहान लेने वाला बाहर का न हो, वे ही अध्यापक हों, जो बच्चों को पढ़ा रहे हों और इम्तहान रोजमर्रा के काम पर आधारित हो। स्कूल में जो काम हो रहा है उसका लेखा-जोखा रखा जाय, उसके चार्ट और आँकड़े रखे जायँ और उन्हीं के मुताबिक लड़कों की जाँच हो।

५—मेरा यह भी ख्याल है कि बेसिक स्कूल अपने पास-पड़ोस की जिन्दगी से अलग न रहें। उस जिन्दगी के वे अंग बन जायँ। लड़के गाँवों में जायँ, गाँव की सफाई करें, गाँव वालों के साथ उनके त्योहार मनायें, उनके खेल-कूद का इन्तिजाम करें। उनका स्कूल तो गाँव के और पड़ोस के जीवन का केन्द्र हो; उससे अलग न रहे। तभी स्कूल से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो पास-पड़ोस के जीवन में खप सकेंगे। तभी बेसिक स्कूल ऐसे नागरिक निकाल सकेगा जो समाज के भार न बनें। बेसिक शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि वह ऐसे नागरिक उत्पन्न करे जो कोई समाजोपयोगी धंधा भलीभाँति कर सके और जो अपने रहन-सहन से अपने को पूरी तरह समाज में समंजित (adjust) कर सके।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

: २ :

बेसिक शिक्षा का मूल्यांकन

आपको मालूम होगा कि दो वर्ष पहले केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बेसिक शिक्षा के मूल्यांकन के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी। इस कमेटी के संयोजक गांधीग्राम के संचालक श्री जी० रामचन्द्रन् थे। कमेटी को नीचे लिखी बातें देखने और उसके सम्बन्ध में अपनी राय देने का अधिकार सौंपा गया था—

१—भारत के विभिन्न प्रदेशों में बेसिक शिक्षा की प्रगति का अध्ययन करना और उसका विवरण प्रस्तुत करना।

२—इस शिक्षा को और प्रगति मिले, इसके लिए अपने सुझाव देना।

इस समिति के सदस्य भारत के ग्यारह प्रदेशों में घूमे और प्रत्येक प्रदेश के मुख्य मंत्री, शिक्षा-मंत्री, शिक्षा-संचालक, शिक्षा-विभाग के अधिकारियों और कुछ प्रमुख व्यक्तियों से भी मिले। इसके अतिरिक्त इस कमेटी के सदस्य बेसिक ट्रेनिंग की संस्थाओं में भी गये। वहाँ शिक्षण-कार्य देखा और प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्राध्यापकों से भी मिले। बेसिक शिक्षा के कार्यक्रम पर विचार-विनिमय किया।

वे बेसिक स्कूलों में भी गये और वहाँ उन्होंने बालकों के कार्य देखे तथा शिक्षकों से चर्चा की।

कमेटी के सदस्यों ने जो अपना अनुभव बतलाया उसमें कहा गया है कि कुछ प्रदेशों में उद्योग अथवा हाथ के काम पर अधिक जोर दिया जाता है और कुछ प्रदेशों में बहुत ही कम। कई प्रदेशों में उद्योग को उत्पादन की दृष्टि से अपनाया गया है, लेकिन कई जगह उद्योग केवल शिक्षण के लिए ही चलाया जाता है। कमेटी ने यह अनुभव किया कि जहाँ अधिकांश गैर-बेसिक स्कूल हैं और उस क्षेत्र में बेसिक स्कूल पड़ गये हैं, वहाँ बेसिक स्कूल के कार्यक्रम पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए जरूरी यह है कि पुराने ढर्रे के स्कूलों में भी बेसिक स्कूलों की भाँति उद्योग प्रारम्भ कर दिये जायँ और उन्हें बेसिक स्कूलों के नजदीक लाया जाय।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बेसिक शिक्षा

कमेटी ने बेसिक शिक्षा की उन्नति के लिए शिक्षण-संस्थाओं के सम्बन्ध में नीचे लिखे सुझाव दिये हैं :—

१—बेसिक स्कूलों में जो भी मूल उद्योग अपनाया जाय उसे पहले क्लास से आठवें क्लास तक चलाना चाहिए। बीच में बदला न जाय। इस दृष्टि से शिक्षकों की तैयारी की जाय, ताकि उद्योग में वे पूरी तरह प्रवीण हों।

२—यदि उद्योग में दक्ष अध्यापक न हों तो उस उद्योग के प्रवीण कारीगर ही स्कूलों में शिक्षक नियुक्त हों और अध्यापकों को उनके साथ काम करने को लगाया जाय।

३—बेसिक प्रशिक्षण-विद्यालयों में बेसिक शिक्षा-साहित्य के सृजन में प्रोत्साहन दिया जाय।

४—बेसिक प्रशिक्षण-विद्यालय के छात्रों को विद्यालय में ही रहना चाहिए और उनकी जीवन-चर्या सामुदायिक होनी चाहिए।

५—प्रत्येक बेसिक प्रशिक्षण-विद्यालय को अपने समीपस्थ बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए सेवागत प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।

उपर्युक्त उपयोगी सुझाव सरलता से अपनाये जा सकते हैं। प्रथम सुझाव के सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि हस्त-कार्य के अध्यापकों को वास्तव में इस कार्य में दक्ष होना चाहिए। इसके लिए अध्यापकों का प्रशिक्षण दो वर्ष का होना चाहिए। हमारे प्रदेश में हस्तकार्य की सम्यक् शिक्षा देने के लिए भी प्रशिक्षण-अवधि दो वर्ष कर दी गयी है।

दूसरे सुझाव के सम्बन्ध में हमारी राय यह है कि हमारे प्रदेश में दो या तीन अध्यापकीय पाठशालायें हैं। उनमें इन अध्यापकों के अतिरिक्त यदि एक कारीगर दिया जाय तो पाठशाला का कार्य उत्तम प्रकार से चलेगा, पर यदि इन दो या तीन अध्यापकों में से एक के बदले कारीगर रख लिया गया तो हस्तकार्य तो ठीक चलेगा किन्तु अध्यापकों के अभाव में अन्य विषयों के पठन-कार्य में बाधा पड़ेगी। अतः हमें कारीगर शिक्षक नहीं चाहिए प्रत्युत शिक्षक कारीगर की आवश्यकता है। इसलिए हमारे प्रदेश में प्रशिक्षण-अवधि दो वर्ष की कर दी गयी है और उद्योग की शिक्षा पर बल दिया जा रहा है।

चौथे सुझाव के सम्बन्ध में हमारी राय यह है कि छात्राध्यापकों को तो विद्यालय में रहना ही चाहिए पर अध्यापकों को भी विद्यालय के हाते में रहना

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

चाहिए। सामुदायिक रहन-सहन होनी चाहिए। छात्रों को सब कार्य अपने हाथ से करना चाहिए तथा कोई नौकर नहीं होना चाहिए। कताई-बुनाई तथा कृषि से छात्रों के स्वावलम्बन में सहायता मिलनी चाहिए।

बेसिक स्कूलों के सम्बन्ध में कमेटी के निम्न सुझाव उल्लेखनीय और विचारणीय हैं—

१—बहुत से बेसिक स्कूल ऐसे हैं कि वहाँ पर साधन एवं सुविधायें न होने पर भी बेसिक ट्रेंड अध्यापक हैं और बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि वहाँ पर साधन एवं सुविधायें होने पर भी बेसिक के प्रशिक्षित अध्यापक नहीं हैं। अतः बेसिक स्कूलों में साधन के साथ-साथ भली-भाँति प्रशिक्षित अध्यापक भी होने चाहिए।

२—मूल-उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए।

३—मूल-उद्योगों के औजारों का भी ठीक-ठीक प्रबन्ध होना चाहिए।

४—छात्रों को पाठशाला में लोकतन्त्रात्मक सिद्धान्तों के आधार पर बालसभा के अन्तर्गत टोलियाँ बनाकर सामुदायिक जीवन व्यतीत करना चाहिए।

५—प्रार्थना, सांस्कृतिक कार्य और सामुदायिक कार्य की व्यवस्था होनी चाहिए। परन्तु इनसे शैक्षणिक कार्य में बाधा नहीं पड़नी चाहिए।

६—उद्योग, सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण से समन्वय स्थापित कर शिक्षा दी जाय, जिससे शिक्षा और बालक के जीवन में सम्बन्ध बना रहे।

७—बालकों के कार्य के विवरण के आधार पर अध्यापकों द्वारा ही परीक्षा ली जानी चाहिए।

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सुझाव से हम पूर्णतया सहमत हैं। बेसिक स्कूलों के लिए साधन एवं प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रबन्ध होना आवश्यक है। इससे निश्चय ही उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता मिलेगी। चौथे एवं पाँचवें सुझावों के सम्बन्ध में हमारी सम्मति यह है कि सामुदायिक एवं पाठशाला के काम की समुचित देख-भाल के लिए कम-से-कम एक अध्यापक पाठशाला में दिन-रात रहे।

इस कमेटी की रिपोर्ट केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय की ओर से छप चुकी है। प्रदेशीय शासन इस रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में प्रयत्नशील है।

●

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

: ३ :

निरीक्षण और नियंत्रण

कुछ व्यावहारिक सुझाव

जिले में बेसिक स्तर पर सुसंगठित तथा स्थानीय संस्थाओं के उचित रूप से भाग लेने के सिद्धान्त पर आधारित शिक्षा के माध्यम के निर्माण के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि जिला बोर्ड-शिक्षा-समिति वैधानिक स्तर तक उठायी जाय और निम्नलिखित रूप से उसे पुनर्निर्मित किया जाय—

(अ) जिला बोर्ड का सभापति पदेन समिति का चेयरमैन हो।

(ब) उप-जिला-विद्यालय-निरीक्षक पदेन समिति के मंत्री के रूप में कार्य करे।

(स) जिला बोर्ड के चार सदस्य हों जिसमें एक हरिजन प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो।

(द) जिला नियोजन-अधिकारी पदेन सदस्य हो।

(य) जिला बोर्ड के अध्यापकों का एक प्रतिनिधि हो।

(फ) तीन सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य शिक्षा-शास्त्री हों जिनमें एक महिला भी हो।

यह शिक्षा-समिति सामान्य रूप से जूनियर और सीनियर बेसिक शिक्षा का प्रशासन और नियंत्रण करेगी। उप-जिला-विद्यालय-निरीक्षक को समिति के मंत्री की हैसियत से शिक्षा-कार्यालय पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार होगा, जिसमें प्रशासन एवं निम्न स्तर के कार्यकर्ताओं की भर्ती, पदोन्नति, दण्ड, पुरस्कार, अवकाश और चरित्र-विवरण-पुस्तिका पर आलेखन सम्बन्धी अधिकार भी सम्मिलित है।

अध्यापकों की भर्ती एक निर्वाचन-समिति के द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें सभापति जिला बोर्ड, उप-जिला-विद्यालय-निरीक्षक और सरकार द्वारा नियुक्त तीन प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि, जो शिक्षा-समिति द्वारा चुना हुआ हो,

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

शामिल हो और सूची नगरपालिकाओं की तरह मान्य करायी जाय। उप-जिला-विद्यालय निरीक्षक इस समिति के मंत्री की तरह भी कार्य करे।

निरीक्षण—निरीक्षण-अधिकारी अध्यापकों के लिए शैक्षिक निर्देशक समझा जाना चाहिए। उसे कार्य की जाँच करने एवं आगे के लिए निर्देश करने के हेतु अध्यापकों की मासिक बैठकें करानी चाहिए। निरीक्षक अधिकारी वर्ग, विशेषत: नया भर्ती हुआ अधिकारी निरीक्षण एवं निर्देशन के कार्य में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

सम्यक और नजदीकी निरीक्षण के लिए प्रति सहायक उप-जिला-विद्यालय-निरीक्षक के अधीन पाठशालाओं की संख्या पचास होनी चाहिए।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहायक उप-जिला-विद्यालय निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव पहले से ही है। परन्तु इस वृद्धि के होने पर भी प्रति सहायक उप-जिला-विद्यालय-निरीक्षक के पाठशालाओं की संख्या ८० होती है। वर्तमान स्थिति में हर बेसिक पाठशाला के कम से कम दो विस्तृत निरीक्षण होने आवश्यक हैं। इसलिए यह संख्या और भी कम होनी चाहिए।

जूनियर बेसिक पाठशाला के निरीक्षण के लिए सम्पूर्ण एक दिन और सीनियर बेसिक पाठशाला के लिए सम्पूर्ण दो दिन दिये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त समय-समय पर यह देखने के लिए कि निरीक्षण के समय पर दिये हुए आदेशों का पालन समुचित रूप से हो रहा है अथवा नहीं, आकस्मिक निरीक्षण भी होने चाहिए।

यह भी आवश्यक है कि विस्तार-निर्देशकों (Extension guides) से भी बेसिक पाठशालाओं के निरीक्षण-कार्य में सहायता ली जाय जब कि दो वर्षों के कृषि-क्षेत्र पूर्णरूप से विकसित हो चुके हों और इन निर्देशकों ने आवश्यक शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। कार्य-क्षमता में उन्नति के लिए हर विस्तार-निर्देशक को एक चपरासी दिया जाय।

उन सहायक उप-जिला-विद्यालय-निरीक्षकों को, जिनके पास कृषि अथवा कला से सम्बन्धित योग्यतायें नहीं हैं, कृषि और कला में सामयिक प्रशिक्षण दिया जाय।

निरीक्षण-विवरण के रूप में एक विस्तार जो नीचे दिया गया है, आवश्यक है और इसी प्रकार से एक विस्तार निर्देशकों के लिए भी प्रस्तावित है।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बेसिक शिक्षा

१—वर्ग कर्मचारी अध्यापकों की योग्यताओं की पूर्णता आदि के सम्बन्ध में जानकारी।

२—संख्या एवं उपस्थिति—कक्षा एवं वर्ग के अनुसार अन्तिम निरीक्षण के समय सम्पूर्ण उपस्थिति और संख्या की अपेक्षा रखते हुए यदि स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या एवं उपस्थिति उस क्षेत्र के पाठशाला में जाने योग्य उम्र के बालकों की संख्या की अपेक्षा थोड़ी हो तो उसके कारण एवं उसमें वृद्धि के लिए प्रस्ताव एवं निर्देश भी दिये जायँ।

३—पाठशाला का अनुशासन एवं ढंग।

४—शारीरिक शिक्षा एवं खेल।

५—पाठ्य-पुस्तकें विद्यार्थी एवं अध्यापक दोनों के लिए।

६—भवन।

७—सामग्री और फर्नीचर

८—रजिस्टर और एकाउण्ट्स।

९—पाठन-कार्य की दिशायें विशेष रूप से पाठन-विधियाँ, खास तौर से समवाय। विद्यार्थियों की लब्धियाँ और लिखित कार्य, शिल्प-कला, कृषि और विद्यालय के खेत की दशा।

१०—परिणाम—यदि वे सन्तोषजनक नहीं हैं तो उनके कारण दिये जायँ और सुधार के लिए प्रस्ताव अंकित किये जायँ।

११—सह-शैक्षिक कार्य—ग्राम-समाज के साथ स्कूल का क्या सम्बन्ध है इस विचार से ये कार्य नियोजित किये जायँ।

१२—आधुनिकतम निरीक्षण के विवरण तथा उसके महत्वपूर्ण अंगों को इस विचार से अंकित करना कि उसके अनुसार कार्य किया जाय।

१३—सामान्य—स्कूल का सामान्य स्तर तथा अन्य कोई विशेष उल्लेखनीय बात।

पथ-प्रदर्शन—सीनियर बेसिक स्कूलों में प्रसार पथ-प्रदर्शक निरीक्षण के लिए निम्नांकित बातों को भी ध्यान में रखें—

१—स्कूल का नाम और क्षात्रों की संख्या।

२—प्रसार अध्यापक का नाम तथा उसकी योग्यता।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

३---कृषि का और दूसरे गौण शिल्प का शिक्षण, ज्ञानात्मक और प्रायोगिक पाठ्यक्रम का समय-चक्र।

४---खेत---

अ---नकशा और क्षेत्रफल, ब---दिशा, स---मिट्टी, द---खेत का नियोजन, य---खेत का विकास, फ---सिंचाई की सुविधायें।

५---फसलों का आयोजन---

(अ) खेती योग्य क्षेत्रफल।

(ब) फसल-चक्र।

(स) खड़ी फसल, उसकी दशा, अनुमानित उत्पादन।

(द) उत्पादन और वितरण या विक्रय।

६---खाद, बीज आदि का प्रबन्ध।

७---व्यवस्था-

(अ) खेती के औजार और स्टोर-कक्ष।

(ब) बैल, उनकी दशा तथा उनका निवास-स्थान।

(स) पुस्तकालय।

८---कृषि-प्रदर्शिनी-गृह।

(अ) चार्ट और नकशे।

(ब) बीज, मिट्टी, खाद, खर-पतवार, रोग-ग्रस्त पौधे आदि का संग्रह।

(स) औजार और पानी के साधन।

९---नर्सरी -

(अ) पौधे और पौध-घरों की व्यवस्था।

(ब) नर्सरी की दशा।

१०---फार्म और नर्सरी सम्बन्धी रजिस्टर आदि।

११---कृषि सम्बन्धी प्रसार-कार्य।

१२---गौण शिल्प---

(अ) औजार और अन्य साधन।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

(ब) स्टोर-कक्ष ।

(स) उत्पादन और वितरण या विक्रय ।

१३—सामान्य—

(अ) स्कूल को सुन्दर बनाना ।

(ब) सहयोगियों का सहयोग ।

(स) अन्य विभागों की सहायता ।

(द) स्कूल पुनर्संस्थापन-समिति की कार्यवाही ।

१४—पूर्व निरोक्षण के प्रस्तावित कौन-कौन कार्य हुए—इसका विवरण ।

१५——चतुर्मुखी सुधार के लिए अन्य सुझाव ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

: ४ :

बेसिक अध्यापकों का शिक्षण

अध्यापकीय शिक्षा के दो निम्नांकित महत्वपूर्ण अंग हैं—

१—पूर्व-सेवा-कालीन शिक्षण

२—सेवा-कालीन शिक्षण

अ-पूर्व-सेवा-कालीन शिक्षण १—प्रवेश—भावी शिक्षक अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों से लिये जाने चाहिए क्योंकि उनका कार्य-क्षेत्र ग्राम ही होंगे।

२—प्रवेश के लिए—साक्षात्कार के अतिरिक्त बुद्धि-परीक्षण तथा व्यक्तित्व-परीक्षण जो इस कार्य के लिए उपयुक्त हो, प्रयोग में अवश्य लाये जायँ।

३—राज्य की आवश्यकता के आधार पर ही शिक्षकों की संख्या की ट्रेनिंग हो।

४—सभी नार्मल स्कूलों का नाम—बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय तथा जूनियर ट्रेनिंग कालेजों का नाम जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज ही हो जाना चाहिए।

सीनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज उन लोगों को प्रशिक्षण देगा जो जूनियर ट्रेनिंग कालेजों के प्राध्यापक होंगे, बेसिक ट्रेनिंग स्कूलों के अध्यापक होंगे तथा बेसिक स्कूलों के निरीक्षक होंगे। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज उन अध्यापकों को शिक्षण देंगे जो जूनियर हाई स्कूलों तथा सीनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापक होंगे। बेसिक ट्रेनिंग स्कूल बेसिक स्कूलों के अध्यापक तैयार करेंगे। इस प्रकार बेसिक ट्रेनिंग के लिए प्रदेश में चार के स्थान पर केवल तीन ही संस्थाएँ रह जायेंगी—(१) बेसिक ट्रेनिंग स्कूल, जिनमें प्रवेश पाने की न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल हो; (२) जू० बेसिक ट्रेनिंग कालेज, जिनमें प्रवेश पाने की न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट हो; और (३) सीनियर अथवा पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग कालेज, जिनमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता बी. ए. हो।

शिक्षण-कार्य-काल

(अ) दो साल का पाठ्यक्रम

(ब) तीन महीने का पाठ्यक्रम—विशेष विषय-ज्ञान के लिए।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बेसिक शिक्षा

पाठ्यक्रम

(अ) ज्ञानात्मक

(१) शैक्षिक समाज-विज्ञान

(२) शिक्षा-दर्शन तथा इतिहास (बेसिक शिक्षा का महत्व)

(३) शिक्षा-मनोविज्ञान (बाल-मनोविज्ञान का महत्व)

(४) स्कूल-संगठन तथा शासन

(५) शिक्षण-विधियाँ (समवाय-पद्धति का महत्व)

(ब) प्रयोगात्मक

(१) बेसिक मॉडल स्कूल प्रयोगशाला की भाँति प्रयुक्त किये जाने चाहिए जहाँ पर पाठ्यक्रम का कड़ा बन्धन न हो तथा प्रयोग करने के अवसर अधिक हों।

(२) समवाय-पद्धति पर शिक्षण-संकेत-पाठ तथा डायरी आदि के कार्य ऐसे हों जो वास्तविक दशाओं के अनुकूल हों—बनावटी ही न रह जायँ।

(३) एक अध्यापक वाले तथा दो अध्यापक वाले स्कूलों की स्थिति में अध्यापन कैसे होगा—इसका समुचित अभ्यास छात्राध्यापकों को कराया जाय।

(४) सह-शैक्षिक कार्य-कलाप, उत्सव आदि करने तथा कराने का अभ्यास छात्रों को दिया जाय।

(५) मनोवैज्ञानिक प्रयोग तथा अध्ययन किये जायँ।

शिल्प का कार्य

छात्राध्यापकों को शिल्प का ऐसा अभ्यास कराना जिसमें वे उस कार्य की दक्षता तथा कुशलता पूर्णरूप से प्राप्त कर सकें। प्रायोगिक कला का समुचित अभ्यास हो।

अध्यापक

समुचित शैक्षिक तथा शिक्षण सम्बन्धी योग्यता के अतिरिक्त—

(१) उन्हें अपने कार्य-क्षेत्र का समुचित प्रयोगात्मक अनुभव हो।

(२) वास्तविक कार्य-क्षेत्र और शिक्षण-संस्थाओं के कार्यकर्ताओं का आदान-प्रदान पारस्परिक सेवाओं में होता रहे।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

शिक्षण-संस्थाओं का जीवन-क्रम

छात्रों के प्रति तथा आपस के व्यवहारों का प्रदर्शन ऐसा हो जिससे स्पष्ट ज्ञात हो सके कि सबमें सामुदायिक जीवन तथा व्यवहार के प्रति सच्ची निष्ठा है। शिक्षण-संस्थानों में स्वयं-सेवा, सामाजिकता तथा श्रम-निष्ठा के भाव उपदेश मात्र न रह जायँ वरन् वे वास्तविक जीवन में ऐसे घुल-मिल जायँ कि प्रजातांत्रिक और सहयोग के जीवन का उन्नत स्तर बनाने में सहायक हो सकें।

(ब) सेवा-कालीन प्रशिक्षण

(१) अध्यापक शिक्षण—योजना का यह एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका विस्तार सभी शिक्षा-स्तरों पर होना चाहिए। अध्यापक के लिए शिक्षण का संस्कार जीवन-पर्यन्त की वस्तु है जिसका प्रारम्भ सर्वप्रथम शिक्षण-संस्थाओं से प्रारम्भ होता है।

(२) इस कार्य के लिए अतिरिक्त (कम-से-कम दो) अध्यापक होने चाहिए जो शिक्षण-संस्थानों तथा सेवा-कालीन शिक्षण के कार्यक्रमों का समन्वय कर सकें और सारा प्रबन्ध कर सकें।

(३) सेवा-कालीन प्रशिक्षण का स्वरूप विचार-गोष्ठी, कार्य-गोष्ठी आदि के आधार पर होना चाहिए। इसका विस्तृत कार्यक्रम पहिले से बनाया जाय और सभी लोग मिलकर इसका संचालन करें।

(४) प्रत्येक अध्यापक को कम-से-कम ऐसा अवसर अवश्य मिले कि वह सेवा-कालीन प्रशिक्षण प्रत्येक तीन वर्ष के भीतर एक बार उपलब्ध कर सके।

(५) सेवा-कालीन प्रशिक्षण-शिविर में उपयुक्त सामान के अतिरिक्त शैक्षिक फिल्मस्क्रप्ट्स प्रोजेक्टर, डुप्लीकेटर्स, ग्रामोफोन्स तथा प्रकाशन आदि की उचित सुविधा अत्यावश्यक है।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

: ५ :

कृषि अध्यापकों का शिक्षण

उद्देश्य

(अ) सहयोग, ग्रामीण-अर्थशास्त्र, जन-स्वास्थ्य, सामाजिक शिक्षा, कृषि-प्रसार-कार्य, पशु-चिकित्सा-विज्ञान, पशु-संवर्धन, वनस्पति-उद्यान-शास्त्र तथा कृषि के रचनात्मक और प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम का बुनियादी और मौलिक ज्ञान प्रदान करना।

शिक्षण केन्द्रों के लिए

(ब) नवीन प्रयोग करना और अध्यापन की नवीन विधियाँ निकालना।

(स) अध्यापक, छात्र और समाज के लिए उपयुक्त सामग्री तैयार करना।

(द) स्थानीय शिल्पों के लिए उन्नत विधियाँ खोज कर निकालना।

भवन और स्थिति

शिक्षण केन्द्र ग्रामीण-क्षेत्र में स्थित होना चाहिए, किन्तु वह शहर से अत्यधिक दूर भी न हो, जहाँ कि कृषि-यंत्र तथा अन्य कृषि सम्बन्धी साधन आसानी से उपलब्ध न हो सकें। एक २५ एकड़ का खेत उपलब्ध हो जहाँ सिंचाई तथा अन्य कृषि सम्बन्धी साधन प्राप्त हों। एक छोटी पशु-शाला हो तथा संस्था के साथ बोर्डिंग भी हो जहाँ छात्र व अध्यापक निवास कर सकें।

सामान व्यवस्था

केन्द्र में निम्नांकित सामान-व्यवस्था होनी चाहिए—

१—सभी प्रकार के उन्नत यन्त्र।

२—सम्पन्न पुस्तकालय।

३—विज्ञान की प्रयोगशाला।

४—अध्यापन-सामग्री।

५—वर्कशाप

६—दृश्य तथा अन्य उपकरण।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

७—संग्रहालय ।

८—संगीत तथा मनोरंजनार्थ सामान ।

९—शिल्प-सामग्री ।

१०—जमनास्टिक तथा खेल की सामग्री ।

अध्यापक तथा अन्य सामान

निम्नांकित प्राध्यापक होने चाहिए—

१—कृषि-प्राध्यापक ।

२—कृषि-प्राध्यापक (हार्टीकल्चर) ।

३—कृषि-प्राध्यापक (पशुपालन तथा पशु-चिकित्सा) ।

४—समाज-शिक्षा, प्रसार-शिक्षा तथा सामुदायिक संगठन के लिए एक प्राध्यापक ।

५—मनोविज्ञान तथा शिक्षा-सिद्धान्त के लिए एक प्राध्यापक ।

६—शिक्षण-विधियों, शिक्षा का इतिहास तथा शिक्षण-सिद्धान्त के लिए एक प्राध्यापक ।

७—प्राध्यापक—कृषि-इंजीनियरिंग ।

८—विज्ञान-प्राध्यापक ।

९—प्राध्यापक—शारीरिक शिक्षा तथा खेल ।

१०—प्राध्यापक-शिल्प—प्रत्येक शिल्प के लिए एक ।

११—सहायक अध्यापक—कृषि ।

१२—सहायक अध्यापक—प्रत्येक शिल्प के लिए ।

१३—सहायक अध्यापक—प्रयोगशाला ।

१४—पुस्तकालयाध्यक्ष ।

१५—संगीत-अध्यापक ।

१६—कला-अध्यापक ।

१७—जन-स्वास्थ्य-प्राध्यापक ।

१८—खेत-निरीक्षक ।

१९—एक प्रधान लिपिक ।

२०—एक लिपिक ।

२१—१५ कार्यकारी—खेती आदि कार्य के लिए ।

२२—५ प्रयोगशाला के लिए—प्रत्येक के लिए एक ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

२३—१ दफ्तरी ।

२४—१ फार्म-मेठ ।

छात्र-संख्या

१०० से अधिक छात्रों की संख्या न हो ।

योग्यता—प्रसार अध्यापक—कृषि या विज्ञान लेकर कम से कम हाई स्कूल पास ।

ग्रेजुएट तथा अण्डर ग्रेजुएट के लिए दो कक्षाएँ अलग-अलग होनो चाहिए । दो प्रकार का प्रशिक्षण भी होना चाहिए ।

(अ) नवीन छात्रों के लिए--शिक्षण-काल दो वर्ष का होना चाहिए । प्रथम वर्ष कृषि तथा शिल्प की शिक्षा हो तथा द्वितीय वर्ष शिक्षण-विज्ञान की शिक्षा हो ।

(ब) सेवा-कालीन प्रशिक्षणः—१ वर्ष का शिक्षण होना चाहिए ।

(१ जून से लेकर ३१ मई तक)

शैक्षिकयात्रा—कम से कम ३ या ४ आदर्श प्रयोगात्मक संस्थाओं का निरीक्षण होना चाहिए । जैसे प्रयोगशाला वाले खेत, डेयरी, प्रसार तथा सामुदायिक प्रोजेक्ट-क्षेत्र आदि जिससे छात्रों के विचार तथा अनुभव बहुमुखी बन सकें ।

समय-विभाग-चक्र—यह आश्रम के आधार पर प्रातः उठने से लेकर शयन-काल तक होना चाहिए ।

पाठ्यक्रम—पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति हो ।

१--विशेषज्ञ--कृषि ।

२—विशेषज्ञ—वनस्पति-विज्ञान ।

३--विशेषज्ञ--पशुपालन ।

४--विशेषज्ञ--समाज-शिक्षा ।

५—विशेषज्ञ--शिक्षण-विज्ञान ।

६—विशेषज्ञ--शारीरिक शिक्षा तथा व्यायाम ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

: ६ :

अध्यापन कार्य

१—'बेसिक शिक्षा' इस शब्द का एक गूढ़ अर्थ है जो उस दर्शन का एक विशेष अंग है जिस पर हमारे समाज का उत्थान निर्भर है।

२—स्कूल वह पावन स्थान है जहाँ हमारी सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्र के भावी नागरिक तैयार किये जाते हैं। समाज की माँग क्या है? समाज की आवश्यकता यह है कि बेसिक स्कूलों के बालकों को ऐसा अवसर प्राप्त हो कि वे सहज रीति से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, जिससे वे अपनी उन प्रतिक्रियाओं को प्रकट कर सकें और अपना चरित्र-निर्माण कर सकें, जो उनमें छिपी पड़ी हैं। इसके अतिरिक्त समाज यह भी अनुभव करता है कि प्रत्येक बालक को अपने समाज का ही एक आवश्यक अंग बनना है। अतएव यह आवश्यक है कि वह आर्थिक, सामाजिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में ऐसी दक्षता एवं क्षमता प्राप्त कर सके कि वह समाज पर भारस्वरूप न रह कर अपनी व्यक्तिगत प्रवृत्तियों एवं शक्तियों के अनुसार समाज का एक सक्रिय सदस्य बन सके।

३—इसका यह अर्थ होता है कि प्रत्येक स्कूल ऐसी योजना बनावे जिसमें बालक का सामाजिक, शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी विकास हो। तात्पर्य यह है कि बालक का मस्तिष्क, हृदय, हाथ तथा आदतें सभी विकसित हों। इसमें आप यह और जोड़ सकते हैं कि उसमें ऐसी प्रवृत्ति और उत्पन्न हो कि वह अपने सामाजिक तथा घरेलू वातावरण को उन्नत बनाने में जागरूक हो सके।

४—इस प्रकार यदि हम उपर्युक्त लक्ष्य को ध्यान में रख कर स्कूल का कार्यक्रम निर्धारित करें तो हम समाज की इस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। तभी हमारे स्कूल वास्तविक बेसिक स्कूल कहे जा सकते हैं, जो हमारे समाज की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे।

५—स्कूल का कार्यक्रम इस प्रकार से आयोजित हो कि स्कूली जीवन उस सामाजिक जीवन का प्रतिबिम्ब हो जो हमें भविष्य में अभीष्ट है।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बेसिक शिक्षा

६—जिस प्रकार गाँव के घर का काम सबेरे से रात तक का नित्य नियोजित-सा रहता है उसी प्रकार स्कूल का भी कार्य प्रातःकाल से लेकर शयन-काल तक उसी क्रम से नियोजित-सा रहना चाहिए। बालकों को ऐसा लगे कि उनका घर और स्कूल एक ही है और उनका दैनिक कार्य भी घर की भाँति ही नियंत्रित है।

७—'बेसिक शिक्षा' में शिल्प-शिक्षक को विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा क्यों है ? कुछ लोग कहते हैं कि कोई भी स्कूल बेसिक स्कूल कहा जा सकता है यदि उसमें थोड़ी बहुत तकली से सूत कातने अथवा किसी उद्योग का कार्यक्रम चला दिया जाय। कुछ लोग कहते हैं कि शिल्प क्रिया का माध्यम है, क्योंकि बच्चे क्रिया-केन्द्रित शिक्षा चाहते हैं। निस्संदेह यह मनोवैज्ञानिक सत्य है, किन्तु क्रिया की दृष्टि से हम कोई भी क्रिया यदि स्कूल में जारी कर दें तो क्या हम उस स्कूल को बेसिक स्कूल कहेंगे ? कदापि नहीं।

८—जैसा कि निश्चित है कि समाज के लोगों की एक बड़ी संख्या जो स्कूल से निकलेगी, अपने ही पास-पड़ोस तथा स्थानीय कार्य-कलापों में निमग्न होगी, अतएव ऐसे स्कूल में उन कुटीर-उद्योगों का विकास अत्यावश्यक है जिसमें समाज के अधिक से अधिक लोग अपने जीवन का आश्रय खोजते हैं अन्यथा ग्राम्य-समाज में बेकारी और नैराश्य के भयंकर रूप स्थिर हो जायँगे और परिणामस्वरूप अनैतिक तथा असामाजिक कार्य प्रारम्भ हो जायँगे।

९—वर्तमान समय में उद्योग केन्द्रित होते जा रहे हैं। कुटीर उद्योगों का भविष्य अन्धकारमय हो रहा है। अतः बेसिक स्कूलों से निकले हुए छात्र खप नहीं सकते। परिणामतः बेसिक स्कूलों का कुटीर-उद्योग स्तरीय शिल्प-शिक्षण अर्थ-विहीन हो रहा है। इस शिल्प-शिक्षण में न छात्रों की, न अध्यापकों की और न समाज की कोई अभिरुचि है न उत्साह दिखायी पड़ता है। अतएव औद्योगिक उत्पादन का विकेन्द्रीकरण अत्यावश्यक है।

१०—भावी भारत में—सम्भवतः आगामी पंचवर्षीय योजना में ही कुटीर उद्योगों का विकास होगा तथा औद्योगिक उत्पादन में विकेन्द्रीकरण होगा। उस स्थिति में स्कूल का शिल्प-शिक्षण सच्चे अर्थ में प्रयोजनीय सिद्ध होगा और स्कूल के छात्र कुटीर उद्योगों में अपना निश्चित स्थान खोज सकेंगे।

११—यह अवश्य है कि किसी भी कुटीर-उद्योग को चलाने के लिए ऐसे

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

कुशल और दक्ष शिल्पकारों की आवश्यकता होगी जो अपने शिल्पों का पूर्ण ज्ञान रखते हों तथा उसके शैक्षिक एवं ज्ञानात्मक पक्ष से परिचित हों। यह तभी सम्भव है जब हम अपने स्कूलों में शिल्प-शिक्षण को विशेष महत्व दें और पर्याप्त समय व्यय करें, जिससे छात्र इतनी दक्षता प्राप्त कर सकें कि वे ऐसा उत्पादन करें जिसका समाज में मूल्य और उपयोग हो। स्पष्ट है कि एक समुन्नत कुटीर उद्योग का कार्यकर्ता तैयार करने के लिए स्कूल में शिल्प-शिक्षण केवल मात्र क्रिया के लिए नहीं होगा वरन् उसका उद्देश्य इससे अधिक होगा।

१२—इससे स्पष्ट है कि स्कूल में शिल्प-शिक्षण को पर्याप्त समय देना होगा और उत्पादन ऐसा होगा जो उपयोगी होगा। क्रमशः ज्यों-ज्यों छात्र दक्षता प्राप्त करते जायँगे उसी प्रकार क्षति तथा बरबादी कम होती जायगी। शिल्प का चुनाव ठीक होना चाहिए। वह समाज को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। ऐसी स्थिति में यदि उत्पादन कम कीमती भी होगा तो भी स्थानीय समाज के किसी न किसी काम में आ जायगा।

१३—स्कूल के दैनिक कार्य के अतिरिक्त यह आवश्यक होगा कि कुछ मूल विषयों जैसे भाषा, गणित, सामाजिक विषय आदि का नियमतः अध्यापन हो जिससे छात्रों का बौद्धिक विकास हो। लेकिन मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि यदि उक्त विषय अलग-अलग पढ़ाये गये तो शिक्षा का उद्देश्य ही खंडित हो जायगा। अतएव इन विषयों का पठन-पाठन, शिल्पकार्य, सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के समन्वय से हो सम्पन्न किया जाना चाहिए। छात्रों के व्यक्तित्व का समुचित विकास इसी समन्वय-पद्धति से ही होगा।

१४—इसलिए यह आवश्यक है कि जहाँ तक सम्भव हो सके मूल विषय तथा सांस्कृतिक ज्ञान सामाजिक तथा सामुदायिक क्रिया-कलापों से ही सम्बद्ध करके दिया जाय, जिससे छात्रों का विकास समाज के अनुरूप बन सके। छात्र भी यह अनुभव कर सके कि उसका स्कूली ज्ञान उसे समाज में उन्नत बनाता है।

१५—मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का कार्यक्रम चलाने से स्कूल द्वारा निकले हुए छात्र भावी भारत के निश्चय रूप से सुंदर नागरिक बन सकेंगे। वे फिर छोटी-छोटी नौकरियों के लिए मारे-मारे नहीं फिरेंगे वरन् अपने-अपने स्थानों पर ही अपने-अपने उद्योगों के साथ बस जायँगे। अभिभावक भी अपने

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बच्चों की उपलब्धि पर सन्तुष्ट होंगे और स्कूल को हितकर समझेंगे ।

१६—इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कम से कम जो आवश्यकतायें हैं वे स्कूलों को मिलनी चाहिए । ऐसे स्कूलों को शिक्षा-विभाग कम से कम कुछ समय के लिए अपने नियन्त्रण में ले ले ।

१७—हमारे बेसिक स्कूलों के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक अध्यापक, दो अध्यापक या तीन ही अध्यापक हैं । बिना समुचित सुविधाओं के ये स्कूल भली-भाँति सुचारु रूप से नहीं चलाये जा सकते । बेसिक शिक्षा के विचार से यह आवश्यक है कि एक कक्षा के लिए कम से कम एक अध्यापक रहे । इस समस्या के निवारणार्थ जो भी सुझाव हों उनमें यह ध्यान अवश्य रहे कि हमें भारत के लिए उपयोगी नागरिक ही उत्पन्न करने हैं ।

१८—अतः बेसिक स्कूलों में शिक्षण की निम्नांकित योजना होनी चाहिए:—

१—स्कूली जीवन के कार्यों की दैनिक चर्या (झाड़ू लगाना, सफाई इत्यादि) ।

२—शिल्प तथा सामाजिक कार्य-कलापों के आधार पर वार्षिक, अर्द्ध वार्षिक, मासिक तथा अर्द्ध मासिक कार्यक्रम की विस्तृत योजना बनाना ।

३—जहाँ तक सम्भव हो, समन्वयात्मक शिक्षण-शैली अपनायी जाय । विभिन्न पाठ भी यथा अवसर दिये जा सकते हैं ।

४—वातावरण के अनुसार स्कूली जीवन तथा पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए ।

५—स्कूली जीवन में छात्रों में इस प्रकार के चाव उत्पन्न हों, जैसे कार्य-संलग्नता, सहयोग, स्वावलम्बन, ग्राम्य-सुधार, सामुदायिक जीवन-सम्पन्नता आदि । ऐसे ही कार्यक्रम चालू भी किये जायँ ।

६—शिल्प-कार्य में सुन्दर उत्पादन पर तथा सामुदायिक कार्य की महत्ता पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

: ७ :

बेसिक स्कूल की दिनचर्या

कुछ लोगों को आजतक पता नहीं कि बेसिक स्कूल किसे कहते हैं। प्रायः लोग प्राथमिक स्कूलों में जाते हैं और अध्यापक से कहते हैं कि तुम्हारे बेसिक स्कूल का काम कहाँ है ? वह गरीब अध्यापक कुछ खेती की क्यारियाँ, मिट्टी के खिलौने और तस्वीरें उन्हें दिखाता है और कहता है कि यही हमारे बेसिक स्कूल का काम है। प्रायः इसमें ७५ प्रतिशत अध्यापक का काम और २५ प्रतिशत बच्चों का होता है। दर्शक महोदय को यदि ये चीजें अच्छी लगीं तो वे कहते हैं कि इस स्कूल में बेसिक का काम अच्छा चल रहा है। इस प्रकार आज बेसिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य न समझने के कारण समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं।

बेसिक शिक्षा का मूल्यांकन किसी कमरे के अन्दर अथवा किसी विशेष अध्यापक और छात्र द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि स्कूल के सभी अध्यापक और छात्रों के दैनिक जीवन से ही सम्भव है। अतः बेसिक शिक्षा की वास्तविकता का अनुभव करने के लिए यह आवश्यक है कि स्कूल की पूरी दिनचर्या देखें और यह मालूम करें कि बेसिक स्कूल के कार्यक्रम द्वारा कहाँ तक बच्चों का व्यक्तिगत विकास हो रहा है, हमारे छात्र सहकारितापूर्ण सामुदायिक जीवन व्यतीत करने के लिए किस हद तक दीक्षा पा रहे हैं तथा वे एक नये समाज के निर्माण में कहाँ तक सहायक बन सकेंगे। साथ ही हमें इस बात की पूरी जानकारी रखनी होगी कि प्रत्येक छात्र अपने को कहाँ तक श्रम-जीवन की दिशा में मोड़ पा रहा है और अपनी शक्ति के अनुसार उत्पादन-कार्य में कहाँ तक सफल हो रहा है। साथ ही उसके बौद्धिक विकास को भी हमें ध्यान में रखना होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी देखना होगा कि बच्चों में स्वावलम्बन की भावना कहाँ तक जागरित हुई और किस हद तक बच्चों में आत्म-निर्भरता का विकास हुआ है। इन सब बातों की जानकारी स्कूल की दिनचर्या देखने और समझने से हो सकती है।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

१. हाजिर—घण्टी बजने पर सब बच्चे पंक्तियों में कक्षानुसार खड़े हो जायँ और उनकी हाजिरी ली जाय।

बच्चों में ठीक समय पर आने की आदत डालने के लिए यह कार्यक्रम अत्यावश्यक है।

२. सफाई—अध्यापक को चाहिए कि कुल बच्चों की कई टोलियाँ बना ले। फिर भिन्न-भिन्न प्रकार के श्रम-कार्यों, जैसे कमरे व मैदान की सफाई, टाट-पट्टी बिछाना, मूत्रालय की सफाई, नाश्ता तैयार करना, दरवाजे और खिड़कियों की सफाई और पीने का पानी भरना आदि को पृथक-पृथक टोली में बाँट दे। इस कार्य को रोज १५ मिनट बच्चों से कराना चाहिए। प्रत्येक टोली का काम एक सप्ताह के पश्चात् बदल देना चाहिए। सामूहिक सफाई के बाद आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सफाई के लिए बच्चों को ४-५ मिनट समय देना चाहिए।

३. प्रार्थना—सभी बच्चे कक्षानुसार पंक्तियों में खड़े होकर सामूहिक रूप से प्रार्थना करें। प्रार्थना सरल भाषा में होनी चाहिए और समय-समय पर बदलती रहनी चाहिए। अध्यापकों को भी नियमित रूप से इसमें भाग लेना चाहिए।

४. शिक्षण—शिक्षण बेसिक स्कूल में शिक्षा क्रिया द्वारा होनी चाहिए। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि प्रत्येक महीने की एक योजना बनाये और फिर उस योजना को दैनिक कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित करे। वह पाठ, स्वतंत्र-पाठ, कला-सम्बन्धी पाठ, भ्रमण, खेल, व्यायाम, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य, त्यौहार मनाना आदि का विवरण समय और कार्यक्रम को अपनाये और इसके अनुसार बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने में सहायता दे। चूँकि प्रतिदिन के कार्य का प्रत्येक बच्चे के लिए लेखा रखना आवश्यक है, इसलिए अध्यापक को चाहिए कि इस बात पर विशेष ध्यान दे।

कक्षा-शिक्षण में कविता-पाठ, पहाड़ा, सुलेख, मौखिक गणित और कला के काम आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्रिया करते समय इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे उसे नियमानुसार करें, ताकि उससे उपयोगी आदत पड़े।

प्रत्येक क्रिया बच्चों की समस्या होनी चाहिए। वह एक निरन्तर क्रियाशीलन (कन्टीन्युअस एक्टीविटी) के रूप में होनी चाहिए, जिससे बच्चे यह महसूस करें कि समस्या, क्रिया और उसका कार्यक्रम उनका बनाया हुआ है और अपना है।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

५. सामुदायिक कार्य—स्कूल का सब काम जनतांत्रिक समुदाय-संगठन के आधार पर होना चाहिए। स्कूल के कार्यक्रम की रचना इस प्रकार करनी चाहिए कि विद्यार्थी और स्थानीय ग्रामीण समुदाय का सम्पर्क बढ़े। इसलिए बच्चों को गाँव में ले जाकर समाज का काम कराना चाहिए। इसी प्रकार गाँव के लोगों को स्कूल के सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।

६. मूल्यांकन—अध्यापक को चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र का विभिन्न शीर्षकों में उदाहरणार्थ–भिन्न-भिन्न विषयों में प्रगति, काम में उत्पादन, आदतों का विकास, आत्मनिर्भरता, आत्म-विश्वास, सहकारिता का दृष्टिकोण, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य-कलाप में मूल्यांकन करे और उसका मासिक लेखा (रेकार्ड) रखे।

बेसिक स्कूल देखने के लिए आनेवाला व्यक्ति यदि उपर्युक्त बातें ध्यान में रखेगा तो उसे वहाँ बेसिक शिक्षा की एक झलक दिखायी देगी, जो अन्य प्रचलित (ट्रेडिशनल) स्कूलों में नहीं मिल सकती।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

: ८ :

कुछ स्पष्टीकरण

[भारत सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा हँसभावी (धारवार, मैसूर) में बेसिक शिक्षा की समस्याओं पर गहराई से विचार करने तथा उन्हें आचार्य विनोबा भावे के सामने रख कर समाधान पाने के हेतु एक विचारगोष्ठी आयोजित की गयी थी। इस गोष्ठी में सभी प्रदेशों के शिक्षा-संचालक और उनके नामजद प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिनमें श्री चाँद-नारायण हाँगल भी थे। वे इस प्रकार की गोष्ठियों में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ इस महत्वपूर्ण गोष्ठी का विवरण उनके द्वारा ही प्रस्तुत है।]

प्रश्न—बुनियादी तालीम सिर्फ एक बेहतर शिक्षा-पद्धति ही नहीं बल्कि साथ-साथ प्रचलित शिक्षा-पद्धति से कम खर्चीली भी होनी चाहिए। किस प्रकार शिक्षा के शास्त्रीय ज्ञान के शैक्षणिक स्तर को घटाये बिना ही नयी तालीम में उत्पादन के पहलू को मजबूत बनाया जाय ?

विनोबा—बेहतर तालीम का सस्ता होना आवश्यक नहीं है, इसके विपरीत वह महँगी होनी चाहिए। अच्छी चीजें सिर्फ सस्ती ही नहीं मुफ्त होनी चाहिए, जैसे—हवा। यदि कमरे की पढ़ाई का आडम्बर बढ़ाते चले जायँगे तो शिक्षा अवश्य ही खर्चीली होगी। आज शिक्षा-विभाग द्वारा स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, औद्योगिक दस्तकारी, प्रचार आदि पर होने वाला खर्च शिक्षा-विभाग पर नहीं पड़ना चाहिए। प्रत्येक कृषक अपने उत्पादन का एक भाग शिक्षक को दे। राज्य से कुछ आर्थिक सहायता शिक्षक को मिलनी चाहिए। शिक्षक को भी खेती का काम करना चाहिए।

उत्पादन से शिक्षा का खर्च नहीं निकलना है, यह काम राज्य का है। राज्य द्वारा १५ साल तक निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। वस्तुयें उत्तम होनी

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

चाहिए। इसके लिए उत्पादन पर जोर देना होगा। उत्तम उत्पादन का विशेष महत्व है और यह अभिभावकों तथा बच्चों को मिलना चाहिए।

प्रश्न—माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने, जो सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिनिधियों का एक अखिल भारतीय संगठन था, एक लम्बे और सजग परीक्षण के बाद यह सुझाव पेश किया कि देश में शिक्षा के माध्यमिक स्तर के लिए बहुधन्धी शालायें होनी चाहिए। बुनियादी शालाओं का स्वाभाविक विकसित रूप उत्तर बुनियादी शालायें होती हैं। इस प्रकार माध्यमिक स्तर पर दोहरी पद्धति को प्रोत्साहन मिल रहा है। इस स्तर पर भी सिर्फ एक ही पद्धति वांछनीय है। ऐसा किस प्रकार किया जाय ?

विनोबा—आप माध्यमिक शिक्षा का कोई भी तरीका अख्तियार कर सकते हैं, पर मैं एक मुद्दे पर जोर देना चाहूँगा कि खेती और कोई एक दस्तकारी हर स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए।

इसके तीन कारण हैं—

१—वर्ग-भेद मिटाने के लिए,

२—बच्चों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए और

३—देश में खाद्य-सामग्री का उत्पादन बढ़ाने के लिए।

प्रश्न—शहरी क्षेत्र में बुनियादी शालाओं का क्या रूप हो ?

विनोबा—शिक्षितों और समाज के बीच की दूरी कम करने के लिए शहरी स्कूलों में उत्पादक श्रम का कार्यक्रम चालू करना चाहिए। देहाती और शहरी स्कूलों का अन्तर एकदम मिटा देना चाहिए। शहरी स्कूलों में यदि वहाँ खेती सम्भव नहीं है तो दस्तकारी चलानी चाहिए। देहात के स्कूलों में जो समय खेती के लिए जायगा वही समय शहर के स्कूलों में दस्तकारी के लिए देना चाहिए।

प्रश्न—समवाय एक सर्वमान्य शिक्षण-पद्धति है। औसत दरजे के अध्यापक के लिए इसे पूर्णरूप से अच्छी तरह व्यवहार में लाना कठिन होता है। यह सम्भव नहीं कि आदर्श शिक्षकों को व्यापक स्तर (मास स्केल) पर रखा जाय। इन सारी परिसीमाओं (लिमिटेशन्स) में किस प्रकार अनुबन्ध-पद्धति को काम में लाया जाय ?

विनोबा—तालीम के लिए यह दुखदायी बात है। इस ओर योग्य अध्यापक

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

आकृष्ट नहीं होते। प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए हमारे पास उत्तम शिक्षक होने चाहिए। आज जो लोग उपलब्ध हैं, उनको अच्छा प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

प्रश्न—शिक्षकों को कौन-सी विशेष सुविधायें प्रदान करने का सुझाव आप देते हैं, जिससे योग्य व्यक्ति इस पेशे की ओर आकृष्ट हो सकें ?

विनोबा—सभी सरकारी कर्मचारियों को ४५ वर्ष की अवस्था में कार्यमुक्त कर देना चाहिए। ४५ से ५५ के बीच वे अध्यापक रूप में काम करें और इस समय उन्हें वेतन और पेन्शन मिलती रहे। ५५ वर्ष के बाद वे शिक्षक का काम करते रह सकते हैं, किन्तु अब उन्हें वेतन नहीं मिलना चाहिए, तब आपको नेहरू-जैसे अच्छे शिक्षक मिल सकेंगे।

प्रश्न—जनता के मस्तिष्क में—विशेषतः शिक्षित लोगों के बुनियादी तालीम के प्रति अनेक गलत धारणायें हैं। इसका प्रभाव देहातों में लोकमानस पर उल्टा पड़ता है। विभिन्न स्तरों पर लोगों को समझाने के लिए कि बुनियादी तालीम ही देश में शिक्षा की सर्वोत्तम पद्धति है, क्या किया जा सकता है ?

विनोबा—कथनी से करनी बेहतर होती है। यदि इसमें विश्वास हो तो अपने बच्चे को बुनियादी शाला में रखें। यह दिखाइये कि बुनियादी शाला का उत्पादन (प्रोडक्ट आफ नयी तालीम) अच्छा होता है। ग्रामदानी गाँवों में नयी तालीम का फल अच्छा निकलेगा।

प्रश्न—राजकीय विभागों द्वारा ही आज देश में बुनियादी तालीम का परिचालन हो रहा है। इसका फल यह है कि चारों ओर इसका मजाक हो रहा है। सरकार इस प्रकार के उनके व्यवहार रोकने के लिए क्या कर सकती है ?

विनोबा—देहाती और जंगली क्षेत्रों में बुनियादी तालीम में अधिक उपयोग है। वर्तमान समाज में से ही एक नये समाज का विकास करना होगा।

प्रश्न—खास तौर से जब गाँव वाले इतने गरीब हैं कि वे उपर्युक्त सारे खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते तब हम स्कूल-भवन, भूमि और फर्नीचर, अध्यापन-सहायता तथा आय आदि आवश्यकताओं की समस्या किस प्रकार हल करें ?

विनोबा—गाँव वालों को चाहिए कि साधनसामग्री के लिए वे अपना श्रम दें और बाकी वस्तुओं की पूर्ति सरकार द्वारा होनी चाहिए।

प्रश्न—प्रचलित प्रारम्भिक शालाओं में नयी तालीम की कौन-सी विशेषतायें तुरत लागू कर दी जानी चाहिए ?

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बेसिक शिक्षा

विनोबा—सारी प्रारम्भिक पाठशालाओं में खेती और उद्योग चालू कर देना चाहिए। अन्य एकेडेमिक विषयों की भाँति इन विषयों में भी परीक्षा होनी चाहिए।

प्रश्न—आपने दिनांक ७-१-५८ के अपने प्रार्थना-प्रवचन में यह बताते हुए बड़ा हर्ष प्रकट किया था कि हर गाँव में एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय होना चाहिए। इसका क्या मतलब है ?

विनोबा—गाँव का जीवन समग्र होता है। हर वस्तु गाँव में प्राप्य है, इसलिए प्रशिक्षण देने का सामर्थ्य ग्राम-जीवन में है। यदि गाँव का शैक्षणिक जीवन सुधरता है तो अच्छे कवि पैदा होंगे। ज्ञान के विस्तार के लिए ग्राम-विश्वविद्यालय-जैसी ग्राम-संस्थायें स्थापित की जा सकती हैं।

प्रश्न—आपने कहा है कि शिक्षा पर लोक-नियंत्रण होना चाहिए न कि राज्य-नियंत्रण, किन्तु जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकल बोर्ड ही उन राज्यों में चलने वाली बुनियादी तालीम की प्रगति में बाधक बनते हैं। ऐसा क्यों ?

विनोबा—वे कतई निकम्मे हैं। उन्हें जितना शीघ्र सम्भव हो, खत्म हो जाना चाहिए। वे सब सरकारी संस्थाएँ ही हैं। वे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं।

प्रतिनिधियों ने अपनी चर्चामें, आचार्य जी के प्रवचन तथा उनके उत्तरों के आधार पर सर्वसम्मति से अधोलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया—

१—यह देखा गया कि बुनियादी तालीम के शिक्षकों का प्रशिक्षण-काल विभिन्न राज्यों में अण्डर ग्रेजुएटों के लिए एक या दो साल रखा गया है। इस काम के लिए कम-से-कम दो साल की अवधि आवश्यक समझी गयी और गोष्ठी ने यह सुझाव दिया कि कहीं भी अवधि दो साल से कम नहीं होनी चाहिए।

२—गैर-बुनियादी शालाओं को बुनियादी शालाओं में परिवर्तित करने के लिए गोष्ठी ने कुछ राज्यों के अनुभव के आधार पर यह सुझाया कि परिवर्तन के लिए एक वर्ष में २ या ३ कक्षायें एक साथ लेनी चाहिए।

३—बेसिक स्कूलों और गैर-बेसिक स्कूलों के अन्तर को कम करने के लिए जिन गैर-बेसिक स्कूलों में अभी तक बेसिक स्कूलों के कुछ भी कार्यक्रम नहीं चालू किये गये हैं, उनमें बेसिक स्कूलों के कुछ कार्यक्रम तत्काल चालू

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

कर देने चाहिए। इस विषय पर केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय तथा वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा जो पुस्तिका निकाली गयी है, वह इसके कार्यक्रम का आधार हो सकती है। इस विषय में दूसरी शालाओं का पाठ्यक्रम उचित संशोधनों के साथ आरम्भ कर दिया जाय, जहाँ वह अब तक नहीं लागू किया गया है।

४—यह सुझाव दिया गया है कि पूरा शिक्षा-विभाग बुनियादी शिक्षा की नीति लागू करे। इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्रत्येक प्रान्त के शिक्षा-विभाग से एक अनुभवी अधिकारी पूरे अधिकार के साथ इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त हो।

इसके अतिरिक्त सभी राज्य-सरकारों को— जहाँ निरीक्षकों को बुनियादी शिक्षा का सैद्धान्तिक व क्रियात्मक प्रशिक्षण नहीं दिया गया है—सभी श्रेणी के निरीक्षकों के लिए (ओरिएंटेशन ट्रेनिंग) का पाठ्यक्रम शीघ्र अपनाना चाहिए।

५—गोष्ठी का यह मत रहा कि उत्पादन-कार्य महत्वपूर्ण है, जिसके लिए पर्याप्त कोशिश करनी चाहिए। बालकों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ केवल उपयोगी ही नहीं वरन् सुन्दर भी हों। शैक्षणिक स्तर का ध्यान रखते हुए उत्पादन के लक्ष्यांक निश्चित करना चाहिए।

६—बेसिक स्कूलों की उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए सरकारों को उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। इस कार्य के लिए अखिल भारत खादी ग्रामोद्योग कमीशन या राजकीय आलेखन विभाग (गवर्नमेण्ट स्टेशनरी डिपार्टमेण्ट) जैसे चालू विभागों से सहायता ली जा सकती है। विनियोग से हुए लाभ का उपयोग बच्चों के लिए होना चाहिए।

७—गोष्ठी का यह भी सुझाव रहा कि दूसरे विकास-कार्यों यथा—ग्रामोद्योग, लघु उद्योग, खादी आदि के मद में जो धन है उसका उपयोग बेसिक स्कूलों के विकास में करना चाहिए।

८—इस बात पर जोर दिया गया कि माध्यमिक स्तर के समकक्ष कोई अन्य शिक्षण-प्रणाली नहीं होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन शिक्षा-योजना का प्रारूप उत्तर बुनियादी स्कूल का होना चाहिए। यह बहुधन्धी स्कूलों के पाठ्यक्रम का एक अंग होगा। उत्तर बुनियादी स्कूलों की परीक्षा का प्रबन्ध भी राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा होना चाहिए।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

: ६ :

बेसिक शिक्षा की समस्याएँ

जब से केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि कक्षा १ से ८ तक प्रत्येक पाठशाला बेसिक प्रणाली पर चले तब से प्रत्येक प्रदेश इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि उसके सब प्राइमरी और मिडिल स्कूल, जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूल में बदल जायँ। यह देखा गया है कि प्रयत्न करने पर भी इस कार्य में सफलता बहुत धीरे-धीरे हो रही है। इसके कई कारण हैं।

बेसिक शिक्षा, जीवन-शिक्षा है। इस प्रणाली के द्वारा बच्चे स्कूल में एक नये समाज का जीवन व्यतीत करते हैं। उत्पादक कार्य का बेसिक शिक्षा में मुख्य स्थान है। इसको बच्चों से सफलतापूर्वक कराने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक उस कार्य को भली-भाँति समझता ही न हो बल्कि उसको क्रियात्मक रूप देने में भी निपुण हो। यह बात तभी होगी जब अध्यापक उस कार्य में रुचि रखे और उस कार्य को सदैव करता रहे।

हमारे बेसिक ट्रेनिंग स्कूलों में, जो अध्यापक शिक्षा के लिए आते हैं, उन्हें उत्पादन-कार्य में विशेष रुचि नहीं होती। यही कारण है कि ट्रेनिंग के बाद उनकी कार्य-क्षमता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। अन्त में परिणाम यह होता है कि कुछ समय के बाद वे अपने बच्चों में इस कार्य के प्रति उत्साह और कार्य-कुशलता पैदा नहीं कर पाते। परिणाम यह होता है कि वे बेसिक शिक्षा में उत्पादन-कार्य की ओर बच्चों को उत्साहित नहीं कर पाते। इससे बेसिक शिक्षा की कार्य-प्रणाली को धक्का पहुँचता है।

इसलिए बेसिक शिक्षा को चलाने के लिए प्रत्येक प्रदेश को चाहिए कि अध्यापक इस प्रकार के चुने, जिन्हें, नयी तालीम तथा उत्पादन-कार्य में पूर्ण विश्वास हो और जो रुचि के साथ बच्चों को ही न सिखायें, बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी उसे अपनायें। जहाँ उस प्रकार के अध्यापक होंगे वहाँ बेसिक शिक्षा की उन्नति शीघ्र ही होगी।

मल्टी क्लास टीचिंग—बेसिक शिक्षा का यह ध्येय है कि हर कक्षा

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

के लिए अलग एक अध्यापक हो, ताकि वह उस कक्षा के सब बालकों का सर्वांगीण विकास उत्पादन द्वारा कराये, परन्तु इसके विपरीत यह देखा जाता है कि जूनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या कक्षा की संख्या पर निर्भर नहीं होती, बल्कि बालकों की कुल संख्या पर। उदाहरणार्थ यदि ४० बच्चों पर एक अध्यापक रखा जाय तो जिस बेसिक स्कूल में ८० बच्चे होंगे, वहाँ चाहे जितनी कक्षाएँ हों, केवल दो ही अध्यापक जिला बोर्ड की ओर से नियुक्त किये जायँगे। यह दशा अधिकांश बेसिक स्कूलों की है।

इन सब स्कूलों में एक ही निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाना पड़ता है। इस प्रकार देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के किसी स्कूल में दो, किसी में तीन, किसी में चार व पाँच अध्यापक हैं, परन्तु पाठशालाओं में एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाने का आदेश होता है। इससे अध्यापकों को बहुत कठिनाई होती है और वे बेसिक शिक्षा-प्रणाली को भली-भाँति नहीं चला पाते। यही वजह है कि जिन प्रदेशों में ऐसे स्कूल हैं, जहाँ पर प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक नहीं है, वहाँ प्राइमरी स्कूल को बेसिक स्कूल में बदलना कठिन होता है।

ऐसे स्कूलों में जहाँ अध्यापकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, वहाँ की बेसिक शिक्षा-प्रणाली में उद्योग और सामाजिक कार्य, जो एक साथ किये जा सकते हैं, अपनाये जा सकते हैं, मगर समन्वय द्वारा पढ़ाना कठिन होगा।

पाठन सामग्री—बेसिक शिक्षा-प्रणाली में बच्चे प्रत्येक विषय को प्रयोगात्मक रीति से सीखते हैं। काल्पनिक उदाहरणों के बजाय वास्तविक समस्याओं और दृश्य-वस्तुओं के द्वारा बच्चों को विषय पढ़ाये जाते हैं। देखा गया है कि कुछ वस्तुएँ प्राप्य नहीं हैं और कुछ रुपये की कमी के कारण क्रय नहीं की जा सकतीं। जो क्रय की जाती हैं वह खराब होने पर स्थानान्तरित नहीं की जातीं। इसका परिणाम यह होता है कि शिक्षा बौद्धिक (थियरेटिकल), अमनोवैज्ञानिक, अस्वाभाविक और अरुचिकर होती है। फलतः बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने में सुविधा नहीं रह जाती।

इसके अतिरिक्त उद्योग-कार्य के लिए सामग्री, जैसे—तकली, खुरपी, फावड़ा तथा इसके सम्बन्ध में जो कच्चा माल प्रयोग होता है—अर्थात् बीज, रुई आदि भी स्कूलों में प्राप्त नहीं होती हैं, जिससे अध्यापक प्रयोग का काम बच्चों से बिलकुल नहीं करा पाते और बेसिक शिक्षा को ठीक ढंग से नहीं चला पाते।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बेसिक शिक्षा

कुछ लोगों का कहना है कि सामग्री के लिए अनुदान नहीं है, मगर यह देखा गया है कि जहाँ अनुदान होता भी है वहाँ पर भी स्कूलों के लिए सामग्री तथा कच्चा माल ठीक समय पर नहीं पहुँचाया जाता। इस बात की आवश्यकता है कि सब स्कूलों का सामान क्षेत्रस्थ केन्द्रीय एजेन्सी द्वारा इस प्रकार वितरित किया जाय कि प्रत्येक जिले के हर बेसिक स्कूल को सामान ठीक समय पर अर्थात् जुलाई में मिल जाय। अच्छा तो यह होगा कि यह काम निरीक्षक वर्ग को दिया जाय और स्थानीय बोर्ड के जिम्मे यह काम न रखा जाय, ताकि इस सम्बन्ध में निरीक्षक वर्ग अपना उत्तरदायित्व अच्छी तरह निभा सके और निरीक्षण करते समय वह अध्यापक के काम की पूरी-पूरी जाँच भी कर सके।

साथ ही साथ यह आवश्यक है कि उत्पादन का कार्य जो स्कूलों में हो, उसका कुछ उचित उपयोग किया जाय। यदि उसका उपयोग स्कूल में न हो सके तो वह सीनियर बेसिक ट्रेनिंग स्कूलों में भेज दिया जाय, ताकि वहाँ पर उसका उपयोग अच्छी प्रकार किया जा सके। ऐसे बने हुए माल का कुछ भाग उस बेसिक पाठशाला में वापस किया जाय, ताकि बच्चे अपने बनाये हुए माल का उपयोग समझें और लाभ उठायें। इसके लिए भी एक एजेन्सी होनी चाहिए, जो सभी जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों के उत्पादन-कार्य को 'कोआर्डिनेट' कर सके।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

: १० :

बहु-उद्देशीय स्कूल

इधर कुछ समय से इस विषय पर पर्याप्त रूप से वाद-विवाद चल रहा है कि विविध लक्षीय स्कूलों का उद्देश्य और स्वरूप क्या हो। केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य-सरकारों को बड़े-बड़े अनुदान इसलिए दिये हैं कि वे अपने-अपने यहाँ भविष्य में विविध लक्षीय स्कूल खोलें। अतएव प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे स्कूल खोलने का प्रयास कर रही है किन्तु उनके उद्देश्यों में पर्याप्त अन्तर है। स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि विविध लक्षीय स्कूलों के क्या उद्देश्य हैं।

मनोविज्ञान ने निश्चित रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि जो बच्चे एक ही अभिभावक तथा एक हो वातावरण में पले होते हैं उनमें भी भारी अन्तर पाया जाता है। जहाँ तक कि उनकी अभिरुचि, प्रवृत्ति तथा बौद्धिक क्षमता का प्रश्न है। अतएव बच्चों की शिक्षा में इन व्यक्तिगत विविधताओं का विशेष महत्व बढ़ता जा रहा है। यह तथ्य निस्सन्देह विचारणीय बन गया है। आज किसी भी शिक्षा-शास्त्री के सामने यह एक जटिल समस्या हो गयी है कि व्यक्तिगत विविधताओं का समयोजन शिक्षा में किस प्रकार किया जाय।

सामाजिक और आर्थिक कारणों से यह सम्भव नहीं है कि प्रत्येक बच्चे को एव्यवितगत शिक्षा दी जाय। समूहगत तथा कक्षागत अध्यापन-विधि के अतिरिक्त शिक्षा देने का अन्य कोई साधन नहीं है। अतएव यही सुगम पाया गया है कि क ही प्रकार की अभिरुचि तथा प्रवृत्ति वाले बच्चों को एक समूह या कक्षा में शिक्षण के अभिप्राय से रखा जाय।

इसी सिद्धान्त के आधार पर इंगलैंड और अमेरिका में विभिन्न प्रकार के बच्चों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार स्कूल खोले गये हैं जैसे सेण्ट्रल स्कूल, सीनियर स्कूल, टेक्नीकल स्कूल और कम्प्रीहेन्सिव स्कूल आदि।

भारत में ब्रिटिश काल में शिक्षा का एक ही स्वरूप जारी हुआ। विभिन्न शिक्षा-विभागों तथा विश्वविद्यालयों ने साहित्यिक और वैज्ञानिक पाठ्यकम क्रमशः

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

जारी किये। पश्चात् यह अनुभव किया गया कि इसी प्रकार के विविध पाठ्यक्रम और बढ़ाये जायँ जिनमें शिक्षित बालक खप सकें और अपने जीवन के लिए विविध प्रकार के क्षेत्र प्राप्त कर सकें। इस प्रकार व्यावसायिक और टेक्नीकल पेशों की सम्भावनायें बढ़ीं।

माध्यमिक शिक्षा कमीशन ने इस विषय को विशेष गम्भीरता से सोचा और यह प्रस्तावित किया कि समूचे देश में विविध अभिरुचियों और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर तदनुरूप विविध पाठ्यक्रम संचालित करने चाहिए। उन्होंने इस प्रकार विविध लक्षीय स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया जिनमें सामान्य विषयों के अतिरिक्त अन्य टेक्नीकल विषय हों। इस प्रकार एक विविध लक्षीय स्कूल और ऐसे स्कूल में क्या अन्तर है जो विभिन्न पाठ्यक्रम की व्यवस्था करता है? अधिकतर शिक्षक दोनों को एक ही समझते हैं, किन्तु वैधानिक दृष्टि से ऐसा नहीं है।

जिस स्कूल में विविध पाठ्यक्रम की व्यवस्था है, उससे दो या तीन प्रकार के पाठ्यक्रम समानान्तर आधार पर प्रचलित हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे पाठ्यक्रम सन् १९४८ में प्रारम्भ किये गये थे और आज भी चल रहे हैं, किन्तु मुदालियर कमीशन का विचार कुछ दूसरा ही है। उसकी धारणा है कि जब बेसिक शिक्षा-पद्धति कक्षा ८ तक के लिए एक मान्य पद्धति बन गयी है तो माध्यमिक उच्च शिक्षा उसी स्तर के ऊपर जारी रहनी चाहिए और उत्पादन कार्य की प्रवृत्ति पूर्व स्तर की भाँति ही चलती रहनी चाहिए। कमीशन द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि जब उच्च माध्यमिक शिक्षा अधिकांश छात्रों के लिए अन्तिम अवस्था है तो इस स्तर की शिक्षा का लक्ष्य यह होना चाहिए कि सामान्य शिक्षा के साथ-साथ उत्पादक कार्य करने की क्षमता के लिए शिक्षण का प्रबन्ध हो जिससे छात्र समाज में अपने जीवन को उपयोगी सिद्ध कर सकें। इसलिए इस बात की सिफारिश की गयी है कि कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे सामान्य विज्ञान, समाज विज्ञान के साथ कोई न कोई शिल्प भी अनिवार्य करना चाहिए। छात्र ऐच्छिक समूहों में से अपनी रुचि के अनुसार टेक्नीकल या बौद्धिक विषय चुनें। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विविध लक्षीय स्कूल में दो या तीन विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम होंगे और प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुछ विषय अनिवार्य होंगे तथा कुछ ऐच्छिक, जिन्हें छात्र चुनेंगे।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बेसिक शिक्षा

उत्तर प्रदेश के इन्टर कालेजों में कुछ स्थानों पर मल्टी लेटरल पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं, किन्तु उन्हें हम विविध लक्षीय स्कूल नहीं कह सकते हैं जैसा कि मुदालियर कमीशन का विचार है; क्योंकि उनमें कामन कोर सब्जेक्ट का कोई सेट नहीं है, जिसमें शिल्प का विषय भी सम्मिलित हो।

स्कूलों में केवल टेक्नीकल या शिल्पप्रधान विषय जारी कर दिये जायँ, इससे हमारे देश की समस्या नहीं सुलझेगी। इन स्कूलों से निकले हुए छात्रों का भविष्य क्या होगा ? यदि वे युनिवर्सिटियों, टेक्नीकल इन्स्टीट्यूटों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण शिविरों में जायँ तो भी समस्या का समाधान न होगा। टेक्नीकल तथा शिल्प-विशेषज्ञों को यदि बेरोजगारी का सामना करना पड़ा तो यह भयंकर होगा।

यह समस्या तभी सुलझ सकती है जब कि उद्योगों का विकेन्द्रीकरण हो और बड़ी संख्या में शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में नये वर्कशाप स्थापित हों। योजना ऐसी बने जिसमें वे सब स्त्री-पुरुष जो शिल्पज्ञ हों, अपने-अपने स्थानों तथा पास-पड़ोस में ही अपने काम पा सकें और जीवन-निर्वाह की सुविधा सहज ही प्राप्त कर सकें। जब तक यह नहीं होता है तब तक विविध लक्षीय स्कूलों का खोला जाना व्यर्थ ही सिद्ध होगा तथा ये पाठ्यक्रम उसी प्रकार अप्रिय और असिद्ध सिद्ध होंगे जैसे इस समय के बोर्ड आफ हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट बोर्ड का रचनात्मक समूह (कन्स्ट्रक्टिव ग्रूप) है।

●

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

: ११ :

समन्वय क्यों और कैसे

बुनियादी शिक्षा-पद्धति में समवाय का विशेष महत्व है। लोगों का कहना है कि बुनियादी शिक्षा में पढ़ाई समवाय के ही द्वारा होनी चाहिए। यदि कोई अध्यापक ऐसा नहीं करता है तो वह बुनियादी शिक्षा के विरुद्ध कार्य करता है। इससे यह न समझना चाहिए कि समवाय विशेष रूप से बुनियादी शिक्षा के लिए एक नयी चीज खोज कर अध्यापकों के सामने रखी गयी है।

वास्तव में समवाय-पद्धति शिक्षण की एक प्राचीन पद्धति है। आज से १०० वर्ष पूर्व जब अध्यापक पढ़ाते थे उस समय भी इसका प्रयोग करते थे। परम्परागत शिक्षा (ट्रेडीशनल एजुकेशन) के अनुसार, जो शिक्षण-पद्धति आज-कल गैर-बुनियादी प्रशिक्षण-विद्यालयों में अपनायी जा रही है, उसमें भी समवाय-पद्धति का प्रयोग होता है।

जब किसी अध्यापक को किसी स्थान के जलवायु या इतिहास का कोई प्रसंग पढ़ाना होता है तो वह अपने विषय (टापिक) का सम्बन्ध उस स्थान के भौतिक और सामाजिक वातावरण से ही जोड़ता है, ताकि बच्चे उस विषय का सम्बन्ध अपने दैनिक जीवन से समझ जायँ। इस प्रकार साधारण प्रशिक्षण-विद्यालयों में कक्षा-शिक्षण (क्लास-टीचिंग) के समय प्रस्तावना में यही बात ध्यान में रखी जाती है।

बेसिक शिक्षा में समन्वय का एक विशेष स्थान है और इसका एक विशेष रूप है। समन्वय और प्रस्तावना में बहुत अन्तर है। बेसिक शिक्षा और साधारण शिक्षा में बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, परन्तु बेसिक शिक्षा में बच्चे के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चा ऐसी उत्पादक प्रक्रियाओं में भाग ले, जिससे उसमें हाथ से कार्य करने की क्षमता बढ़े और वह एक सफल नागरिक बने। परम्परागत शिक्षा (ट्रेडीशनल एजुकेशन) में बच्चे की कार्यक्षमता पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और इसकी पूरी पढ़ाई पुस्तकीय होती

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

है । इसलिए बेसिक शिक्षा में सामाजिक लाभदायक कार्य अथवा उद्योग का एक विशेष स्थान है । इसीको माध्यम मानकर बच्चे को शिक्षा दी जाती है ।

बेसिक शिक्षा में यह जरूरी है कि बच्चा जो कार्य करे, वह एक उद्देश्य-पूर्ण प्रक्रिया हो और बच्चा उसको पूरे ढंग से करे, ताकि वह हर पद्धति को अच्छी तरह समझे । यदि कोई अध्यापक बच्चों से पूरा काम न करा करके थोड़ा काम कराता है तो बेसिक शिक्षा-पद्धति के विचार से वह ठीक रास्ते पर नहीं है ।

बेसिक शिक्षा में उद्योग शिक्षा का माध्यम है । क्रिया अथवा उद्योग सदैव पूरे-पूरे किये जाते हैं । इसलिए जब किसी क्रिया या उद्योग की भिन्न-भिन्न पद्धतियों को बच्चे कक्षा में सीखते हैं और करते हैं उस समय उनके "क्यों और कैसे" को समझने के लिए बहुत-सी ऐसी समस्यायें उठती हैं, जिनका सम्बन्ध इतिहास, भूगोल, गणित और सामान्य विज्ञान इत्यादि से होता है और यह प्रतीत होता है कि यदि इन भिन्न विषयों वाली समस्याओं की पूर्ति बच्चों की कक्षा में न की जाय तो बच्चे उस कार्य या उद्योग के सब पहलुओं को अच्छी तरह से नहीं समझ पायेंगे । इसलिए किसी उद्योग की कार्य-क्षमता को प्राप्त करने के लिए तत्सम्बन्धी विषयों का ज्ञान देना जरूरी हो जाता है और इस सम्बन्ध को समन्वय या इस शिक्षण-पद्धति को समन्वय-पद्धति कहते हैं ।

अगर किसी कक्षा में आलू के बोने का प्रयोग किया जा रहा है तो क्यारी का खोदना, बराबर करना, खाद देना, बीज बोना, पानी देना, निराई करना और फसल को बेचना इत्यादि सब कार्य बच्चों को ही करना होगा और हर प्रक्रिया को समझने के लिए अन्य विषयों का ज्ञान बच्चों को दिया जायगा ।

इस प्रकार आलू के बोने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल मिट्टी की किस्में, क्यारी की लम्बाई-चौड़ाई नापना, खादों की किस्में और उपयुक्त खाद की आवश्यकता, सिंचाई के साधन, किस्में (देशी, पहाड़ी इत्यादि), पैदावार के विशेष स्थान, तौलना, बेचना, फसल को पैदा करने में व्यय और आय का हिसाब रखना तथा दूसरे प्रदेशों में भेजना इत्यादि यह सब समस्यायें बच्चों की जानकारी के लिए कक्षा मे चर्चा द्वारा हल की जायेंगी और बच्चे आलू की खेती के साथ-साथ भाषा, गणित, भूगोल, सामान्य विज्ञान इत्यादि के उपयुक्त प्रसंग आवश्यकतानुसार जान जायँगे । इस प्रकार प्राप्त किया हुआ ज्ञान एवं उनका सम्बन्ध अपने दैनिक जीवन से समझ पायेंगे । इस प्रकार आवश्यक और सम्बन्धित ज्ञान समन्वय द्वारा दिया जाता है ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बेसिक शिक्षा

इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि किसी क्रिया या उद्योग के समय किसी प्रसंग के सम्बन्ध में कोई समस्या न उठे तो उस विषय को समन्वय-पद्धति द्वारा पढ़ाना उपयुक्त न होगा। जैसे यदि लड़के आलू की खेती कर रहे हैं और अपनी-अपनी क्यारियाँ बना रहे हैं तो यदि क्षेत्रफल जानने की समस्या न उठे तो क्षेत्रफल को उस समय पर नहीं पढ़ाना चाहिए। प्रायः ऐसा देखा गया है कि प्रशिक्षण-विद्यालयों में ऐसे समय पर क्षेत्रफल पढ़ाकर समन्वय द्वारा ज्ञान देने की कोशिश की जाती है।

शिक्षा-शास्त्रियों का यह विचार है और ठीक भी है कि बहुत-सा आवश्यक ज्ञान जो बच्चे के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, क्रिया या उद्योग से समन्वय करके नहीं दिया जा सकता। अतः इस प्रकार के ज्ञान को भौतिक और सामाजिक वातावरण के द्वारा पढ़ाना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि अध्यापक पढ़ाने में रुचि पैदा करने के लिए विषय (टापिक) का सम्बन्ध वातावरण से जोड़ते हैं और कक्षा में पढ़ाते समय प्रस्तावना में इसी बात पर ध्यान देते हैं, परन्तु भौतिक और सामाजिक वातावरण से समन्वय करके पढ़ाना कुछ और ही चीज है। भौतिक और सामाजिक वातावरण से समन्वय करके पढ़ाने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे अपने दोनों वातावरणों की भिन्न-भिन्न चीजों को देखें और समझें। १५ अक्तूबर १९५७ ई० को 'जीवन-शिक्षा' के पृष्ठ २८ पर यह बताया जा चुका है कि भौतिक और सामाजिक वातावरण में किन-किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इन सब चीजों को समझने के लिए बच्चों को भिन्न-भिन्न विषयों का ज्ञान होगा, जो क्रिया द्वारा नहीं हो सकता था।

इमारत (स्थानीय या प्रदेशीय), मुख्य स्थान, धार्मिक स्थान, मेले इत्यादि के बारे में जानकारी देने पर इस प्रकार की समस्यायें उठेंगी—इमारत कब बनी थी, क्यों बनायी गयी और किसने बनवायी, धार्मिक स्थान कब बने, किसके नाम पर बने, स्थानों को इतिहास में क्यों मान्यता दी जाती है, मेले कब से लग रहे हैं, उनसे क्या-क्या लाभ हैं आदि। इनको हल करने में बच्चों को विभिन्न विषयों (इतिहास, सामाजिक शास्त्र, भूगोल आदि) की जानकारी होगी और उनको अनुबन्धित ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया में राजाओं के वर्णन, ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, धार्मिक सुधार (रिलीजस रिफार्म्स), व्यापार का लेन-देन आदि जो वातावरण में सम्बन्ध रखते होंगे, बच्चों को पढ़ाये जायँगे। इस प्रकार वातावरण से सम्बन्धित इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र बच्चों को समन्वय द्वारा

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

पढ़ाये जायेंगे और इस पढ़ाने की पद्धति को समन्वय-पद्धति कहेंगे।

प्रयोग में देखा गया है कि प्रायः अध्यापक वातावरण से समन्वय उल्टे ढंग से करते हैं, अर्थात् वह कहते हैं कि हमें अखबार पढ़ाना है और हम इसको वातावरण की किस चीज से समवायत करें। ऐसा विचार करने से समन्वय-पद्धति का वसूल टूटता है, क्योंकि अध्यापक बनावटी समन्वय करने की कोशिश करता है। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वातावरण से सम्बन्धित ऐतिहासिक और भौगोलिक प्रसंगों को पढ़ाये और उन प्रसंगों को न पढ़ाये, जिनका साधारण सम्बन्ध वातावरण से न हो।

इस प्रकार देखने से यह मालूम होता है कि कुछ ऐतिहासिक और भौगोलिक प्रसंग समवाय द्वारा नहीं पढ़ाये जा सकेंगे, परन्तु अगर कक्षा १ से कक्षा ८ तक इसी वसूल पर काम किया जाय तो मालूम हो जायगा कि स्थानीय, प्रदेशीय और देशीय वातावरण को समझने से हमारे देश के लगभग सभी ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सामाजिक प्रसंग पढ़ाये जा सकेंगे। इस प्रकार पढ़ाने में बच्चों की रुचि तो जरूर होगी, परन्तु इतिहास में काल-क्रम (क्रोनोलॉजिकल आर्डर) से पढ़ाना असम्भव होगा। वास्तव में इसको जरूरत छोटे दर्जों में नहीं है।

अच्छे नागरिक बनने तथा सांस्कृतिक चेतना के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे अपने त्योहारों एवं पर्वों को भली-भाँति समझें और उनको यथाशक्ति समय-समय पर मनायें। इन त्योहारों को मानने पर बहुत-सी समस्यायें उठती हैं, जिनको हल करने से बच्चों को लाभदायक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः बेसिक स्कूलों में त्योहार मनाते समय जो विषय पढ़ाये जा सकें, उनको त्योहारों से अनुबन्धित करके पढ़ाना चाहिए। यह पद्धति समवाय की पद्धति के अनुकूल होगी। इस प्रकार जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण और महाभारत के बारे में इतिहास पढ़ाया जा सकता है और यमुना के बारे में भी भौगोलिक ज्ञान दिया जा सकता है। उसी प्रकार रामनवमी के अवसर पर श्री रामचन्द्र जी के बारे में ऐतिहासिक ज्ञान बच्चों को दिया जा सकता है, परन्तु समवाय द्वारा ज्ञान देने में यदि यह कहा जाय कि कृष्ण को नवम्बर के महीने में पढ़ाना है और इसका सम्बन्ध अगस्त की जन्माष्टमी से जोड़ा जाय तो यह ज्ञान देने की क्रिया समन्वय-पद्धति के खिलाफ होगी। अध्यापकों को चाहिए कि इस प्रकार के उल्टे समन्वय को यथासम्भव कक्षा से दूर रखें।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बेसिक शिक्षा

हमारे समाज में दिन-प्रतिदिन नयी बातें पैदा होती हैं और उन पर अन्तर्राष्ट्रीय घटना-चक्र का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार पत्रों द्वारा बहुत से ऐसे प्रसंग निकल आते हैं, जिसका ज्ञान बच्चों के लिए जरूरी हो जाता है।

रूस ने ४ अक्तूबर, १९५७ ई० को पहला स्पुटनिक जमीन के चारों ओर चक्कर लगाने को फेंका। इस समाचार के बारे में अगर बच्चों को न पढ़ाया जाय तो वास्तव में अध्यापक की भूल होगी, क्योंकि स्पुटनिक का हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमना बच्चों के लिए एक नयी बात होगी और इससे सम्बन्धित, जो ज्ञान बच्चों को मिलेगा वह उनके लिए लाभदायक होगा। इसलिए प्रति दिन बच्चों को वातावरण से सम्बद्ध समाचार तथा घटनाएँ सुनायी जायँ।

अतः यह स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षा में समन्वय के लिए प्रक्रिया या उद्योग, प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, पर्व, त्योहार, मुख्य राष्ट्रीय दिवस तथा जयन्तियाँ और समाचारपत्र आदि प्रमुख आधारशिला होंगे।

यदि अध्यापक इन सबके द्वारा बच्चों को भिन्न-भिन्न विषयों का ज्ञान करायें तो हम कहेंगे कि बच्चे समवाय-पद्धति द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

: १२ :

बेसिक शिक्षा में समवाय

नयी तालीम में बुनियादी उद्योग से या प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण से, जहाँ तक सम्भव हो, समन्वय करके अन्य विषय पढ़ाना चाहिए। यह देखा गया है कि अध्यापकों को इसमें काफी कठिनाई जान पड़ती है। उनकी सुविधा के लिए एक समन्वय की योजना प्रस्तुत की जाती है, जिससे उनको समन्वय से पढ़ाने का ज्ञान हो।

यों तो बुनियादी शिक्षा में यह अनिवार्य है कि साप्ताहिक या मासिक कार्यक्रम कक्षा में पढ़ाने के लिए पहले से बना लिया जाय अर्थात् क्रिया और अन्य विषय किस रोज कितना पढ़ाया जायगा, पहले से ही निर्धारित कर लेंगे, ताकि समय पर अध्यापक को पढ़ाने में कोई कठिनाई न हो।

समन्वय जहाँ तक सम्भव हो, स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। जहाँ पर असम्भव हो और यह समझा जाय कि यह ज्ञान देना जरूरी है तो वह ज्ञान पृथक् पाठ के रूप मे देना चाहिए। इसी प्रकार भाषा गणित में अभ्यास के पाठ पृथक् पाठ के रूप में होने चाहिए। उदाहरण के लिए समन्वय की एक योजना नीचे दी जा रही है—

कार्य—भिण्डी के खेत की निराई।

आवश्यक साधन—दफ्ती के टुकड़ों पर लिखे हुए वर्णमाला के अक्षर, खुरपी, टोकरी इत्यादि।

अध्यापक बच्चों को भ्रमण द्वारा भिण्डी की एक ऐसी क्यारी दिखावें जिसमें खूब घास लगी हो और दूसरी क्यारी जिसमें घास निकाल दी गयी हो। बच्चों के द्वारा इन भिण्डी की क्यारियों का मुकाबला करें और चर्चा करके समझायें कि घास उगने से भिण्डी के पेड़ों के बढ़ने में बाधा पड़ी है। इस प्रकार बच्चे महसूस करेंगे कि भिण्डी के पौधों की उन्नति के लिए घास हानिकारक चीज है और उसे निकाल देना चाहिए। इस अवसर पर यह भी अच्छा होगा, यदि किसी क्यारी में एक आदमी निराई करता हुआ मिले। निराई करते समय

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

व्यक्ति का बैठना, खुरपी पकड़ना और घास को काटना, इन सबकी ओर बच्चों का ध्यान ले जाना चाहिए, ताकि बच्चे निराई करते समय ठीक ढंग से काम करें।

अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को स्कूल की भिण्डी की क्यारियों के समीप ले जायँ और उगी हुई घास की ओर उनका ध्यान आकर्षित करें और प्रश्न करें। इस प्रकार बच्चों को घास काटने के लिए तैयार करना चाहिए।

घास काटने के पहले अध्यापक को चाहिए कि वे स्वयं क्यारी में बैठकर घास काटने का नमूना दें, ताकि बच्चे इस क्रिया को भली-भाँति समझ जायँ। फिर दो-तीन बच्चों के द्वारा इस कार्य का प्रदर्शन कराना चाहिए, ताकि शिक्षक यह समझ सकें कि बच्चे इस क्रिया को भली-भाँति समझ गये हैं।

क्रिया—हर बच्चे को भिन्न-भिन्न क्यारियों के भाग निश्चित रूप से बता देना चाहिए, जहाँ पर उनको निराई करनी है और तब आदेश देना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा नंगे पैर अपनी खुरपी लेकर अपनी-अपनी क्यारी पर बताये हुए ढंग से निराई करे। अध्यापक बच्चों के कार्य का निरीक्षण करता रहे और यदि कोई त्रुटि हो तो उसे तुरत ठीक कर दे। (बैठने का ढंग, खुरपी पकड़ने का ढंग आदि)।

काम समाप्त होने पर शान्तिपूर्वक (बगैर शोर-गुल के) अनुशासन के साथ बच्चों को क्यारियों के बाहर आना चाहिए और खुरपी को उचित जगह रख हाथ-पैर धोकर जूता पहन लेना चाहिए। इसके पश्चात् अध्यापक बच्चों को कक्षा में ले जाय।

अध्यापक को चाहिए कि वार्तालाप और चर्चा द्वारा बच्चों से उनके किये हुए कार्य का वर्णन कराये। इस चर्चा द्वारा जो औजार उन्होंने प्रयोग किये या जो शब्द उन्होंने कहे, और जिनका लिखना तथा पढ़ना बच्चों को सिखाना है, वह श्यामपट पर लिखना चाहिए, ताकि वह वर्णमाला के अक्षर सीख जायँ।

उदाहरण के लिए मान लीजिए 'घास', 'खुरपी' और 'टोकरी'—यह तीन शब्द उनको लिखना और पढ़ना सिखाना है।

पढ़ाने का ढंग—

श्यामपट पर लिखे हुए शब्दों की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित करके अध्यापक को चाहिए कि एक-एक अक्षर को पहचनवाये। और उनका उच्चारण

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

करावें। जैसे 'घास' शब्द के लिए 'घ' और 'स' को पहचनवाये और फिर सब बच्चों से कहा जाय कि अपनी-अपनी थैली के वर्णमाला में से 'घ' और 'स' को पहचानें और निकाल कर अपने सामने रखें। फिर इन अक्षरों को थैली में डाल कर इसी प्रयोग को कई बार दोहराना चाहिए, ताकि बच्चे इन अक्षरों को भली-भाँति पहचानने लगें। इस प्रकार उनको तीनों शब्दों का ज्ञान हो जायगा। जब वह उनको पहचान जायँ तब लिखने का प्रदर्शन श्यामपट पर होना चाहिए। फिर अगर मुमकिन हो तो मिट्टी पर खुदे हुए वही अक्षर हर बच्चे को देने चाहिए, ताकि उनपर उंगली फेर कर उनको लिखने के ढंग का अभ्यास हो जाय। फिर तख्ती पर उन्हीं शब्दों के लिखने के ढंग का अभ्यास कराना चाहिए।

स्पष्ट है कि अक्षरों के लिखने का अभ्यास एक घण्टे या एक दिन में नहीं हो सकता। इस पाठ को क्रिया द्वारा अनुबन्धित करके फिर इस अभ्यास को सामवायिक पाठ के रूप में पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों को इन अक्षरों और शब्दों का लिखना भली प्रकार आ जाय। अभ्यास के लिए इन शब्दों के 'आ' 'इ' 'उ' की मात्राओं को बदल कर इन शब्दों का नया रूप बच्चों द्वारा लिखवाना चाहिए और उनका उच्चारण कराना चाहिए, ताकि बच्चों को पहचान कर और मात्राओं को बदल कर शब्दों का रूप बदलने में आसानी हो।

बच्चों को चाहिए कि काम करने के पहले सब खुरपियों को गिन लें और फिर काम के समाप्त होने के बाद उनको गिन कर मिला लें। इस सिलसिले में गिनतियों के लिखने का बोध कराया जा सकता है, ताकि बच्चे गिनतियों को भली-भाँति लिख सकें। अगर बच्चों को ९ तक गिनती आती है और १५ खुरपियाँ बच्चों ने प्रयोग की तो अध्यापक को चाहिए कि १५ गिनती तक लिखना बच्चों को सिखाये अर्थात् ९ के बाद १०,११,१२,१३,१४ और १५ गिनतियों के लिए बच्चों के हृदय में एक रुचि पैदा करे और उनका लिखना सिखावे।

गिनती लिखने का पाठ समन्वय द्वारा पढ़ाया जा सकता है, परन्तु इसके अभ्यास में कई दिन लगेंगे, इसलिए अध्यापक को चाहिए कि इनके लिखने का अभ्यास पृथक् पाठ के रूप में दे, जिससे बच्चों को ९ से १५ तक गिनती भली-भाँति लिखना और पढ़ना आ जाय।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बेसिक शिक्षा

घास क्यों काटी जाती है, न काटने से क्या हानि होती है ? घास अपने बढ़ने के लिए खुराक पृथ्वी से ले लेती है और भिण्डी के पौधों को बढ़ने से रोकती है । इन सबकी चर्चा बच्चों से करानी चाहिए, ताकि वह निराई के महत्व को समझ सकें ।

शिक्षक को चाहिए कि जब वह बच्चों को भ्रमण पर ले जाय तो वह उन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित कर दे कि वे उस कार्य से सम्बद्ध की जानेवाली प्रक्रियाओं को जिन्हें वह देखने गये हैं (निराई, कटाई आदि) प्रश्नों द्वारा किसान या अन्य काम करनेवाले व्यक्तियों से पूछें और समझें, ताकि उनको वार्तालाप, निरीक्षण और सवाल करने की विधि भली प्रकार आ जाय । इस प्रकार हम भाषा, गणित को बेसिक क्रैफ्ट से समवाय करके पढ़ा सकते हैं और अभ्यास के पाठ को उपर्युक्त बतायी गयी रीति से पृथक् पाठ के रूप में पढ़ा सकते हैं ।

आशा है कि ऊपर के कथन से अध्यापक-गण को समन्वय द्वारा पढ़ाने का ज्ञान हो जायगा । समन्वय द्वारा पढ़ाने का कार्य पाक्षिक योजना के हिसाब से होना चाहिए । जहाँ पन्द्रह रोज समन्वय न हो सके वहाँ कार्य के बाद पृथक् पाठ पढ़ाना चाहिए, जिसका समावेश योजना में होना चाहिए ।

●

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

: १३ :

बेसिक शिक्षा में सामान्य विज्ञान का महत्व

साधारणतः लोग यह समझते हैं कि पढ़ना और लिखना ही आवश्यक ज्ञान है। जो मनुष्य पढ़ और लिख लेता है, वह संसार में अपना काम चला सकता है; परन्तु आजकल सभ्यता इतनी बढ़ गयी है कि पग-पग पर विज्ञान और उसके प्रयोगों का उपयोग किया जा रहा है। हमारे घर में चाहे वह गाँव हो या शहर, हर क्षेत्र में विज्ञान का प्रयोग किसी न किसी रूप में हो रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे बच्चे प्रारम्भ से ही विज्ञान के नियमों को समझें, ताकि वे उनको अपने दैनिक जीवन में अपना सकें।

विज्ञान को पढ़ाने के लिए पुस्तक ही कोई आवश्यक वस्तु नहीं है। सारा प्राकृतिक वातावरण विज्ञान की प्रयोगशाला है और प्रत्येक फूल, पौधा, चिड़ियाँ और पशु आदि विज्ञान की प्रत्यक्ष पुस्तक हैं। इसका ज्ञान देने के लिए हमें बच्चों का ध्यान इन प्राकृतिक वस्तुओं की ओर आकृष्ट कराना चाहिए, ताकि वे इन प्राकृतिक वस्तुओं को देखें और उनकी कार्यप्रणाली को समझें। जब बीज बोया जाता है तो वह अंकुरित होता है, धीरे-धीरे बढ़ता है। पौधे का आकार धारण करता है। इस प्रकार उसके जीवन का एक नवीन पृष्ठ प्रतिदिन खुलता रहता है। यदि हमारे बच्चे इन पौधों का विकास-क्रम नित्य ध्यान से देखें तो उन्हें ऐसा मालूम होगा, जैसे उनके समक्ष विज्ञान की पुस्तक जिसका हर पृष्ठ नवीन है, खोल कर रखी गयी है।

बेसिक शिक्षा में इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि बच्चे अपने प्राकृतिक वातावरण को समझें और उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करें, इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह स्कूल और गाँव में प्राकृतिक वातावरण की एक योजना बना लें और इस बात का प्रयत्न करें कि बच्चे सभी प्राकृतिक वातावरण की कार्य-प्रणाली का सूक्ष्म अध्ययन करें।

इन प्राकृतिक वस्तुओं को समझने के लिए विज्ञान के जिन नियमों का प्रयोग होता है, उनको बच्चे भली-भाँति समझेंगे और विज्ञान के उन नियमों को समझ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

कर अपने आगे के जीवन में उनका प्रयोग कर सकेंगे। उदाहरण के लिए एक पौधा लीजिए। बीज बोने से पौधा बोने तक उसके विकास-क्रम की जितनी प्रक्रियायें होती हैं, उन सबकी जानकारी बच्चों को भली-भाँति करानी चाहिए। जड़ों व पत्तियों का काम क्या है, पानी जड़ों से कैसे चढ़ता है। पौधों को पानी हम क्यों देते हैं, उनके श्वाँस लेने की क्रिया तथा लेने और छोड़ने वाली वायु आदि की विस्तृत जानकारी बच्चों को होनी ही चाहिए। इस प्रकार हम यदि बच्चों को शिक्षा देंगे तो वे भौतिक शास्त्र, रसायन-शास्त्र और जीव-शास्त्र के विभिन्न सैद्धांतिक आधारमूल तत्वों को सीख सकेंगे। इसके विपरीत अगर हम जड़ों से पानी चढ़ाने के सिद्धान्त को एक पाठचक्रम के अनुसार एक कक्षा में पढ़ायें और फिर दूसरी कक्षा में पौधों का साँस लेना पढ़ायें और तीसरी कक्षा में पत्तियों द्वारा भोज्य-पदार्थ के बनने के सम्बन्ध में बतायें तो यह सब ज्ञान अलग-अलग होगा और बच्चे यह नहीं समझेंगे कि इन सब कार्यों की सहायता से ही पौधा विकसित होता है।

अब आप उदाहरणार्थ कबूतर, तोता और चील पक्षी लें। इन तीनों के आकार-प्रकार, रूप-रंग, रहन-सहन, खान-पान आदि का गहन अध्ययन किया जाय तो विज्ञान के नये सिद्धान्त प्रयोग में आते हैं, उन्हें भी बच्चे सीख पायेंगे। इस प्रकार देखा गया है कि वातावरण की सभी वस्तुओं का क्रमिक अध्ययन करने से बच्चे विज्ञान के सिद्धान्तों से ही परिचित नहीं होते, वरन् उनका प्रयोग भी वे कुशलता से करने लगते हैं। इस प्रकार उन्हें अपने वातावरण की वस्तुओं में आनन्द आने लगता है और वे वातावरण की प्रत्येक वस्तु को सूक्ष्म दृष्टि से समझने का प्रयत्न करने लगते हैं। यही हमारे विज्ञान के पढ़ने का उत्तम ढंग है।

इतिहास साक्षी है कि हमारे प्राचीन प्रमुख वैज्ञानिकों ने प्रकृति की वस्तुओं में आनन्द लेकर ही विज्ञान की दिशा निर्धारित की है तथा वे अपने विकास में 'डूबते समय क्षितिज पर लालिमा क्यों छा जाती है, पानी क्यों और कैसे बरसता है, विद्युत के कम्पन और चमक का कारण क्या है' आदि प्रकृति के गहनतम रहस्यों को धीरे-धीरे अपने सूक्ष्म अध्ययन के द्वारा ही समझ पाया है और समझने के प्रयास में सतत प्रयत्नशील है।

यह स्वीकार करने में किसी को एतराज न होगा कि हम सबका आदि गुरु प्रकृति ही है। हमने आज तक जो कुछ सीखा है, उसका श्रेय प्रकृति को है।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बेसिक शिक्षा

हमारे पूर्वजों ने पत्थर हाथ से छूटने पर नीचे गिरने की क्रिया को देखा, सोचा, तब सीखा कि पृथ्वी में आकर्षणशक्ति होती है, जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। विज्ञान के जानने वालों ने ज्ञात किया कि ग्रह-उपग्रह सूर्य के चारों ओर एक विशेष गति से घूम रहे हैं। यदि उनकी गति में कमी आ जाय तो उनकी दशा में परिवर्तन हो जायगा। इससे वैज्ञानिकों ने यह परिणाम निकाला कि १८ हजार मील प्रति घण्टे की गति से कोई वस्तु जमीन से दूर फेंक दें तो वह वस्तु चाँद की तरह पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहेगी और बहुत दिनों बाद पृथ्वी पर गिर पड़ेगी। इसका प्रत्यक्ष प्रयोग रूस ने अभी ५ अक्तूबर '५७ को सवा दो मन का गोला जिसे रूसी चाँद भी कहा जा सकता है, जो इस समय पृथ्वी के चारों ओर डेढ़ घण्टे में एक चक्कर लगा रहा है, आकाश में फेंक कर किया है।

इन सबका तात्पर्य है कि बेसिक स्कूलों में विज्ञान की जो शिक्षा दी जाय, वह केवल पुस्तकीय न हो, बल्कि वातावरण में मौजूद प्राकृतिक वस्तुओं को आधार मान कर दी जाय। इसके अतिरिक्त यदि कुछ वस्तुएँ जैसे यातायात और सिंचाई के साधन हैं, जिन्हें बच्चों को समझाया जाय तो वे विज्ञान को भली-भाँति समझेंगे और उसमें विशेष रुचि भी लेंगे।

इस प्रकार अपने वातावरण को समझकर बेसिक स्कूल का बच्चा भविष्य का योग्य नागरिक होगा, जो प्राकृतिक उपकरणों की सदैव सहायता लेगा और उसके सहारे समय-समय पर होने वाली प्राकृतिक बाधाओं पर भी विजय प्राप्त करेगा। बेसिक शिक्षा के द्वारा हम देश में ऐसे ही सर्वगुणसम्पन्न नागरिक उत्पन्न करना चाहते हैं। ऐसे ही नागरिक अन्ध-विश्वास को दूर करने में तथा प्राकृतिक कठिनाइयों का सामना करने में सफल सिद्ध होंगे और इन्हींका जीवन आनन्दमय बीत सकेगा।

●

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

: १४ :

सामाजिक शिक्षा

बेसिक शिक्षा अथवा नयी तालीम में सामाजिक शिक्षा का एक विशेष महत्व है। प्राचीन पाठ्यक्रमों में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र अलग-अलग पढ़ाये जाते थे, जिनका एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं होता था। इसके अलावा इन विषयों के भिन्न-भिन्न पाठों का बच्चों के वातावरण से कोई सम्बन्ध नहीं होता था। इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चे इन विषयों में कोई रुचि नहीं लेते थे, जिससे उनकी भावना, विचार, चिन्तन की दिशा तथा आचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। विषयों को रटकर बच्चे परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो जाते थे, परन्तु उनके व्यक्तित्व में स्थायी रूप से कोई परिवर्तन नहीं हो पाता था।

बेसिक शिक्षा का यह उद्देश्य है कि बच्चे नये समाज के निर्माण के लिए तैयार किये जायँ। इसके लिए यह आवश्यक है कि वे अपने वातावरण को ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति को समझें। नागरिक शास्त्र के द्वारा बच्चे अपने कर्तव्यों, अधिकारों और देश के प्रति सेवा को केवल ज्ञानात्मक रूप से न समझें वरन् उनका प्रयोग स्वयं स्कूल में करें। अतएव बेसिक शिक्षा में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र अलग-अलग नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि पढ़ाते समय उनका समन्वय भौतिक और सामाजिक वातावरण से इस प्रकार करना चाहिए कि बच्चे अपने समाज और गाँव के ऐतिहासिक, भौगोलिक और नागरिक शास्त्र के पाठों को पढ़ते समय इस तरह एक दूसरे से मिलाजुलाकर पढ़ें कि तीनों विषय मिलकर समाज की उन्नति का स्पष्ट चित्र (प्राचीन काल से वर्तमान काल तक) उनके सामने उपस्थित करें। हमारी रोज-रोज की पढ़ाई से बच्चे समाज के महापुरुषों, उनकी कठिनाइयों एवं समाज की उन्नति के निमित्त सेवाओं और समाज के उत्थान तथा पतन के कारणों को भली-भाँति समझ जायँ। इनके द्वारा बच्चों में ऐसे विचार उत्पन्न हों, जिससे उनकी राष्ट्रीय चेतनायें पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और देश के प्रति सेवा करने का भाव उत्पन्न हो जाय। साथ ही साथ उनमें ऐसी ताकत हो, जिससे वह ऐतिहासिक-भौगोलिक स्थिति का परस्पर सम्बन्ध समझ सकें।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

कक्षा १ में यह सब बातें कहानी द्वारा पढ़ानी चाहिए, जो छोटी हों, रोचक हों और जिनके सुनने से बच्चों में वे भाव उत्पन्न हों, जो आदर्श अध्यापक बच्चों में पैदा करना चाहते हैं।

उदाहरण के लिए कक्षा १ के सामाजिक शास्त्र का पाठ्यक्रम निम्नलिखित होना चाहिए—

१–स्थानीय इमारतों से सम्बद्ध कहानियाँ (किसने बनायीं, क्यों बनायी और उनका महत्व)।

२–स्थानीय घटनाओं का सामाजिक महत्व (क्यों हुई, उनमें भाग लेने वाले कौन थे तथा उनका सामाजिक महत्व)।

३–स्थानीय प्रसिद्ध स्थान से सम्बद्ध कहानियाँ (उनकी प्रसिद्धि और उनका सामाजिक महत्व)।

४–स्थानीय गाँव और शाला की स्थिति तथा रहनेवालों का परिचय।

५–दिशाओं का ज्ञान (सूरज द्वारा)।

६–स्थानीय वनस्पति, पशु-पक्षी, उनकी पहचान, लाभ-हानि।

७–स्थानीय जलवायु (मौसम के नाम)।

८–स्थानीय मिट्टी और उसकी किस्में।

९–स्थानीय उपज और उनके नाम तथा उनकी पहचान।

१०–स्थानीय सिंचाई के साधन।

११–हमारे भोजन की वस्तुएँ कहाँ से आती हैं (अनाज, सब्जी और पानी इत्यादि) ?

१२–अपनी स्वच्छता के हित हमें क्या करना चाहिए (नहाना, दाँत साफ रखना) ? हम बीमार क्यों पड़ते हैं ?

१३–स्कूल का प्रबन्ध, घर का प्रबन्ध और गाँव का प्रबन्ध।

१४–भारतीय शिष्टाचार की कुछ आवश्यक बातें। जैसे—सच बोलना, बड़ों का आदर करना और अपनी बारी से काम करना आदि। यह सभी बातें बच्चों को स्वयं खेल-कूद में बरतनी चाहिए।

१५–स्थानीय मेले, बाजार, इनके महत्व (कब और क्यों लगते हैं ?)।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

१६–स्थानीय धार्मिक स्थान (उनका महत्व तथा परिचय)।

१७–यातायात के साधन।

१८–पुलिस चौकी—उसकी सामाजिक सेवायें।

१९–डाकखाना—उसकी सामाजिक सेवायें।

२०–नेताओं की जन्मतिथि मनाना—धार्मिक तथा ऐतिहासिक पुरुषों की जयन्तियाँ मनाना।

२१–नीचे लिखे पर्वो को मनाना—जन्माष्टमी, १५ अगस्त, ईद तथा २६ जनवरी आदि ।

उपर्युक्त बताये गये पाठों को पढ़ाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि जहाँ तक सम्भव हो, भ्रमण द्वारा उनका ज्ञान करायें। इस बात का ध्यान रखा जाय कि बच्चों के दिमाग में अभीष्ट भाव पैदा हों। इस तरह के पाठ पढ़ाने में समन्वय-पद्धति का सहारा लेना उपयुक्त होता है। इस प्रकार कोई कठिनाई नहीं होगी और बच्चे अपने स्थायी वातावरण को रुचि के साथ समझने की कोशिश करेंगे।

अध्यापकों के लिए यह एक नयी बात होगी। उनको स्थानीय, ऐतिहासिक और भौगोलिक कहानियों को परिश्रम के साथ ढूँढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह सब बातें किसी एक पुस्तक में नहीं मिलेंगी। एक अध्यापक का परिश्रम दूसरे अध्यापक के लिए काम आये, इसके लिए यह उचित होगा कि प्रत्येक अध्यापक इन कहानियों और चर्चाओं को एक पुस्तिका में लिख लें, ताकि स्थानान्तर होने पर उसके स्थानापन्न को उसके परिश्रम का लाभ मिल सके। इसी प्रकार वह अध्यापक जहाँ जायगा वहाँ इस प्रकार की पुस्तिका ज्ञान का साधन होगी।

●

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

: १५ :

आधारित प्रश्न

बच्चो ! बताओ तो—

१–तकली से तुम्हारी सूत कातने की गति प्रति घण्टा क्या है ?

२–प्रतिदिन ३० मिनट कातने से २०० दिन में कितना सूत कात पाओगे ?

३–तुम्हारे नेकर के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी ?

४–तुम कौन-कौन सी चीजें खाते हो ? यह कहाँ से आती हैं और कैसे पैदा होती हैं ।

५–क्या तुम्हारे गाँव में सभी मकान एक ही तरह के हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? छप्पर तिरछे क्यों लगाये जाते हैं ?

६–कुएँ की जगत ऊँची क्यों रखी जाती है ?

७–पानी का बहाव किधर को होता है ?

८–पानी कुएँ में कहाँ से आता है ? वह साफ क्यों होता है ?

९–गंगाजी में पानी कहाँ से आता है ?

१०–बरसात न होने पर पहाड़ी नदियों में पानी कहाँ से आता है ?

११–पौधा बढ़ने के लिए किन-किन विषयों की जरूरत होती है ?

१२–वह अपनी खूराक कैसे लेता है ?

१३–खेतों में खाद क्यों डाली जाती है ?

१४–जंगलों में पेड़-पौधे बिना खाद डाले क्यों बढ़ते हैं ?

१५–तुम्हारे पड़ोस के आम के पेड़ में न कोई खाद डालता है और न पानी, पर उसमें फसल पर फल लगते हैं । यह क्यों होता है ?

१६–चिड़ियाँ कैसे उड़ती हैं ?

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

१७—बाइसिकिल, रिक्शा, ताँगा, इक्का और बैलगाड़ी की बनावट में क्या अन्तर है ?

१८—सूर्य डूबने के बाद कहाँ चला जाता है ? वह डूबता तो पश्चिम में है फिर पूरब से कैसे निकलता है ?

१९—चन्द्रमा का आकार घटता-बढ़ता रहता है, क्यों और कैसे ?

२०—तुम्हारे पड़ोस के पेड़ की ऊँचाई क्या है ?

२१—तुम्हारे गाँव अथवा नगर में पुरुष, स्त्रियों तथा बच्चों की संख्या क्या है ?

२२—गाँव में ज्यादातर लोग कौन-सा धंधा करते हैं ?

२३—शहर में किस देश के लोग ज्यादा रहते हैं ?

२४—गाँव वाले लोग शहर में क्यों जाते हैं ?

२५—शहर वालों को गाँव की किन-किन चीजों की जरूरत पड़ती है ?

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

: १६ :

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा का आरम्भ सन् १९३८ में हुआ। उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने 'हरिजन' में प्रकाशित महात्मा गांधी के बेसिक शिक्षा-विषयक लेखों के अलावा डाक्टर जाकिर हुसेन समिति की रिपोर्ट भी थी। इस रिपोर्ट में बेसिक शिक्षा की संकल्पना स्पष्ट की गयी थी और काम शुरू करने के लिए एक पाठ्यक्रम भी दिया गया था। इस रिपोर्ट में नीचे लिखे वे प्रस्ताव हैं जो आगे चलकर सब जगह बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त बने :—

(१) इस कमेटी की यह राय है कि आठ साल तक राष्ट्र के समस्त बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाय।

(२) इस काल की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।

(३) यह कमेटी महात्मा गांधी के इस सुझाव का समर्थन करती है कि इस काल की शिक्षा का माध्यम कोई उत्पादक उद्योग अर्थात् हाथ का काम हो और बच्चे में जिन क्षमताओं का विकास करना हो अर्थात् जिन विषयों की शिक्षा बच्चे को देनी हो उन्हें जहाँ तक मुमकिन हो इस हाथ के काम से अनुबंधित करके दी जाय। इस उद्योग को बच्चे के वातावरण को ध्यान में रखकर चुना जाय।

(४) यह कमेटी उम्मीद करती है कि इस पद्धति द्वारा पढ़ाई करने पर धीरे-धीरे अध्यापक के वेतन भर का खर्च निकल आयगा।

जाकिर हुसेन कमेटी-रिपोर्ट के ये प्रस्ताव ही बेसिक शिक्षा को वे बुनियादी ईंटें हैं जिनपर आगे चलकर बेसिक शिक्षा की इमारत खड़ी की गयी। उत्तर-प्रदेश में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में प्रदेश की प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा को सुधारने के लिए एक समिति बनायी गयी। इस समिति ने यह स्वीकार किया कि प्रदेश की प्रारम्भिक शिक्षा बेसिक ढंग पर चले और इसके लिए इसने डाक्टर जाकिर हुसेन कमेटी रिपोर्ट में दिये हुए पाठ्यक्रम

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

को थोड़ा अदल-बदल के साथ मंजूर किया। लेकिन इस समिति ने यह कह कर कि बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा देना राष्ट्र की जिम्मेदारी है, स्वावलम्बन के पहलू को स्वीकार नहीं किया। यह भी निश्चय किया गया कि चूँकि बेसिक शिक्षा के तत्व उपयोगी हैं और बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्तों के आधार मनोवैज्ञानिक हैं अतः इसे कुछ सघन प्रगाढ़ क्षेत्रों में लागू करने के बजाय प्रारम्भिक शिक्षा के समस्त क्षेत्र में लागू किया जाय और प्रदेश के सारे प्रारम्भिक विद्यालयों को बेसिक पाठशालाओं में परिवर्तित कर दिया जाय। यहाँ यह बता देना ठीक होगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा किसी दूसरे प्रदेश ने प्रसार की इस नीति को नहीं अपनाया। बहुत बड़े दायरे में बेसिक शिक्षा के प्रसार से जहाँ अनेक दोष आये वहाँ एक सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि हम प्रदेश में एक साथ ही दो समानान्तर शिक्षण-विधियों के चलाने की उलझन और परेशानियों से बच गये।

अतः योजना को कार्यरूप में परिणत करने के लिए सबसे पहली जरूरत यह महसूस हुई कि परम्परागत प्रारम्भिक विद्यालयों को बेसिक स्कूलों में बदलने के लिए बड़ी संख्या में उपयुक्त शिक्षकों का प्रबन्ध किया जाय और बेसिक ट्रेण्ड निरीक्षकों का एक ऐसा समूह तैयार किया जाय जिससे बुनियादी विद्यालयों के निरीक्षक पथ-प्रदर्शन पा सकें। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगस्त १९३८ ई० में इलाहाबाद में स्नातकों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग कालेज खोला। सन् १९३९ में प्रदेश में सात बेसिक रिफ्रेशर केन्द्र आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी और इलाहाबाद में खोले गये। इन केन्द्रों में प्रतिकेन्द्र लगभग २५० अध्यापक ३ माह के लिए बेसिक शिक्षा के सिद्धान्त और पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त करने आते थे। ये अध्यापक अनुभवी और शिक्षित थे, अतः अध्यापन-विधि से परिचित थे। केन्द्रों पर उन्हें बेसिक शिक्षा के सिद्धान्त बतलाये जाते थे और समवाय-पद्धति से परिचित करा दिया जाता था। उन्हें कम-से-कम दो उद्योगों की अर्थात् कताई—बुनाई और बागवानी की शिक्षा दी जाती थी। यह सोचा गया कि चूँकि ये अध्यापक ट्रेण्ड हैं, अतः इस कार्य के लिए तीन महीने की अवधि काफी है। इन केन्द्रों के संचालन का कार्य बेसिक ट्रेनिंग कालेज इलाहाबाद के दीक्षित स्नातकों (ट्रेण्ड-ग्रेजुएट्स) को सुपुर्द किया गया। जैसे-जैसे इन केन्द्रों से प्रशिक्षित होकर अध्यापक निकलते गये, वैसे-वैसे वे क्रमशः प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालयों को बेसिक विद्यालयों में परिवर्तित करते गये। ये केन्द्र सन् १९४६

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

तक चलते रहे और इन केन्द्रों में लगभग ३५००० शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त और प्रयोग में शिक्षा दी गयी।

इसके अतिरिक्त उन प्रवि उपविद्यालय निरीक्षकों (सब्-डिप्टी-इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स) को जो बेसिक शिक्षा से अनभिज्ञ थे, बेसिक शिक्षा के दर्शन और पद्धति में प्रशिक्षित करने के लिए, बेसिक ट्रेनिंग कालेज इलाहाबाद में त्रैमासिक 'रिफ्रेशर कोर्स' की शिक्षा प्रारम्भ की गयी जिससे वे नये बेसिक स्कूलों का सम्यक निरीक्षण कर सकें और नये अध्यापकों का उचित पथ-प्रदर्शन कर सकें। इसी बीच बेसिक ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद के दीक्षित स्नातक भी निरीक्षक के पद पर नियुक्त किये जाने लगे।

सन् १९४६ के बाद जब प्रदेश के प्रारम्भिक विद्यालयों में लगभग ३५००० अध्यापक बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके तो प्रदेश के सातों रिफ्रेशर कोर्स केन्द्रों को बेसिक नार्मल स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया। प्रदेश के अन्य नार्मल स्कूल भी बेसिक नार्मल स्कूलों में परिवर्तित कर दिये गये अर्थात् उनका नाम तो नहीं बदला परन्तु उनके पाठ्यक्रम में बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों का समावेश कर दिया गया और उनमें मूल उद्योग और तत्सम्बन्धी कला के शिक्षण का प्रबन्ध किया गया।

इस प्रकार सन् १९४८ ई० तक प्रदेश भर के सभी प्रारम्भिक विद्यालयों को बेसिक शिक्षा के ढंग पर संचालित करने की पृष्ठभूमि तैयार हो गयी थी।

सन् १९४५-४६ में प्रदेश में १९,०१७ प्रारम्भिक बेसिक स्कूल थे। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा की सार्वजनिक माँग हुई। अतः सरकार ने २२००० नये प्रारम्भिक स्कूल खोलने की योजना बनायी जिससे किसी बालक को पाठशाला पहुँचने के लिए डेढ़ मील से अधिक न चलना पड़े। इतने अधिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित अध्यापक तत्काल प्राप्त नहीं थे, अतः १९४७ ई० में इन विद्यालयों के लिए अध्यापक ट्रेण्ड करने के लिए सचल शिक्षा-दल की योजना चलायी गयी। धीरे-धीरे प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए एक सचल दल की स्थापना की गयी। ये दल १९५३ ई० तक प्रदेश में कार्य करते रहे। जब प्रत्येक जिले में नार्मल स्कूल खुल गये तो ये १९५३ ई० में बंद कर दिये गये। सचल शिक्षा-दल की योजना के अन्तर्गत लगभग १२८५० नये बेसिक स्कूल खोले गये थे। सचल दल के अध्यापक इन विद्यालयों के अध्यापकों को ट्रेनिंग के

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

लिए गाँवों में शिविरों का संचालन करते थे जिनमें आस-पास के अध्यापक बेसिक शिक्षा के सिद्धान्त और प्रयोग में ट्रेनिंग पाते थे।

उत्पादक उद्योग का वैज्ञानिक शिक्षण बेसिक शिक्षा का अनिवार्य अंग है, अतः सामग्री खरीदने के लिए प्रत्येक बेसिक स्कूल को ३३ रु० प्रतिवर्ष प्रारंभिक अनुदान दिया जाता था। द्वितीय महायुद्ध के बाद कुछ दिनों के लिए यह अनुदान रोक दिया गया था, परन्तु फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जूनियर बेसिक स्कूलों को उद्योग-कक्षाओं की सामग्री के लिए १०० रु० प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाने लगा है। आशा है इनसे बेसिक स्कूलों का सुधार होगा।

सीनियर बेसिक स्कूल

सन् १९५४ तक बेसिक शिक्षा कक्षा ६, ७ और ८ यानी जूनियर हाई स्कूल स्तर पर, प्रारम्भ नहीं की जा सकी। १९५०-५१ ई० में भारत-सरकार की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण की योजनाओं के लिए दी जाने वाली सहायता के बन्द हो जाने से प्रदेश में बेसिक शिक्षा को बड़ा धक्का लगा; क्योंकि उद्योगों के चलाने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता है उसके बन्द हो जाने से बेसिक शिक्षा की प्रगति रुक गयी। परन्तु १९५३ ईस्वी में भारत-सरकार ने शिक्षितों की बेकारी दूर करने के लिए आर्थिक सहायता दी। इस सहायता से लाभ उठाकर बेसिक शिक्षा के पुनर्व्यस्थापन की योजना बनायी गयी और प्रदेश की बेसिक शिक्षा को सीनियर स्तर तक ले जाने का प्रबन्ध किया गया। फलतः पुनर्व्यवस्था-योजना के रूप में बेसिक शिक्षा प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में लागू की गयी।

चूँकि कृषि इस प्रदेश का मुख्य उद्योग है और यहाँ की ८० प्रतिशत जनता इसी कार्य में लगी रहती है, अतः प्रत्येक सीनियर बेसिक स्कूल (कक्षा ६, ७ और ८) के साथ लगभग १० एकड़ भूमि संलग्न करने की योजना बनायी गयी जिससे इन स्कूलों में कृषि और बागवानी को मुख्य उद्योग बनाया जा सके। साथ में कताई-बुनाई अथवा किसी दूसरे स्थानीय उद्योग को गौण उद्योग के रूप में रखने का निश्चय किया गया। इस समय तक बेसिक शिक्षा की यह संकल्पना स्पष्ट हो गयी थी कि बेसिक शिक्षा जीवन के माध्यम द्वारा जीवन की शिक्षा है और यह माना जाने लगा था कि वह कोरी शिक्षा-पद्धति न होकर जीवन-यापन का एक ढंग है, अतः बेसिक शिक्षा के सामुदायिक पहलू पर अधिक जोर दिया जाने लगा था। इसीलिए पुनर्व्यवस्था-योजना के अन्तर्गत यह निश्चय किया गया

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

कि सामुदायिक सहयोग और प्रसार-कार्य को सीनियर बेसिक विद्यालय के जीवन के मुख्य अंग के रूप में स्वीकार किया जाय और इन विद्यालयों को सामुदायिक विकास-केन्द्रों में विकसित किया जाय। अतः सीनियर बेसिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में कृषि-कार्य और लिखाई-पढ़ाई के अलावा कृषि-प्रसार, सामुदायिक स्वास्थ्य और सफाई, सामुदायिक निर्माण-कार्य-रंजनात्मक कार्यक्रम और स्थानीय कुटीर उद्योगों के विकास का काम भी सम्मिलित कर लिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि इन स्कूलों के कार्यक्रम का बच्चों के जीवन से अधिक निकट का सम्बन्ध हो गया और ये सामुदायिक जीवन के अधिक नजदीक आ गये।

इस प्रकार जुलाई सन् १९५४ ई० से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा जूनियर हाई स्कूल के स्तर तक बढ़ा दी गयी। इन सीनियर बेसिक स्कूलों में कृषि मुख्य उद्योग है, परन्तु जहाँ कृषि की सुविधा नहीं है वहाँ कोई दूसरा शिल्प मुख्य उद्योग रखा गया है।

उत्तर प्रदेश में इन सीनियर बेसिक स्कूलों के लिए अब तक २१००० एकड़ से अधिक भूमि प्राप्त हो चुकी है जो संतोष की बात है। इस समय तक प्रदेश के ३५०० सीनियर बेसिक स्कूलों में लगभग २१०० ऐसे कृषि-साधन-सम्पन्न सीनियर बेसिक स्कूल हैं और लगभग ३०० ऐसे स्कूल हैं जिनमें कताई-बुनाई, काष्ठकला, धातुकला आदि दूसरे शिल्प मुख्य उद्योग के रूप में चलते हैं। इन सीनियर बेसिक स्कूलों में कार्य करने वालों में काफी संख्या में ग्रेजुएट और कृषि के विशेषज्ञ—ग्रेजुएट और अन्डर-ग्रेजुएट हैं। इन्हें बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त और प्रयोग तथा प्रसार-कार्य से रिफ्रेशर कोर्स दिया गया है और इनके लिए लगातार सेवाकालीन प्रशिक्षण की योजना है जिसके लिए प्रदेश भर में कई केन्द्र हैं। सबसे बड़ा केन्द्र प्रतापगढ़ में है। इन अध्यापकों को प्रसार-अध्यापक कहा जाता है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन सीनियर बेसिक स्कूलों में पौधघर और कृषि-संग्रहालय खोलने का आयोजन है। अबतक ६०० स्कूलों में पौधघर और संग्रहालय खोले भी जा चुके हैं।

सीनियर बेसिक स्कूलों के पास जो भूमि है उसमें लगभग एक-तिहाई खेती के काबिल जमीन सिंचाई के अन्तर्गत लायी जा चुकी है।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बेसिक शिक्षा

इस समय तक प्रदेश के सीनियर स्कूलों में लगभग १००० ऐसे स्कूल हैं जिनमें कृषि और शिल्प की कोई व्यवस्था नहीं हैं। आशा है शीघ्र इनमें भी यह प्रवन्ध हो जायगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जूनियर और सीनियर दोनों स्तरों पर बुनियादी शिक्षण-संगठन सबके लिए समान शिक्षण के रूप में किया गया है। सभी जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों में, चाहे वे शहरी क्षेत्र में हों चाहे देहाती, किसी हायर सेकेण्डरी स्कूल के साथ संलग्न हों अथवा अलग चल रहे हों, एक ही पाठयक्रम चलता है। अन्तर केवल इतना है कि देहाती बेसिक विद्यालयों में अधिकतर कृषि बुनियादी उद्योग के रूप में चलती है जब कि शहरी बिद्यालयों में ऐसे अन्य धन्धे चलते हैं जिनका सम्बन्ध शहर की जिन्दगी से है। इस प्रकार इस प्रदेश में यह प्रबन्ध किया गया है कि प्रदेश में शिक्षा की दो समानान्तर पद्धतियाँ न चलें।

प्रदेश के नार्मल स्कूलों में भी कृषि और उद्योग के शिक्षण का प्रबन्ध कर दिया गया है और इनके शिक्षण के लिए कृषि और उद्योग के ट्रेण्ड अध्यापक नियुक्त किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक बात और कहनी है। प्रारम्भ से ही इस प्रदेश की बेसिक शिक्षा में कला का प्रमुख स्थान रहा है। शुरू में ही यह अनुभव किया गया कि उद्योगों की शिक्षा कला के सहयोग के बिना नीरस रहेगी। अतः यदि उद्योग को बच्चे की सारी शिक्षा का माध्यम बनना है तो उसे कला ,का सहयोग सरस और सजीव बनावे। इसीलिए बेसिक ट्रेनिंग कालेज में प्रारम्भ से ही कला पर विशेष जोर दिया गया और पहले उसका विशेष अध्ययन भी हुआ। बालकों के लिए कला का 'भाव-प्रकाशन' सम्बन्धी पहलू अधिक उपयोगी है। इसीलिए हमने कला के इसी रूप को लिया भी। कला पर बल देने का यह नतीजा हुआ कि प्रदेश के बेसिक स्कूल थोड़े दिनों के लिए चमक गये और चारों ओर एक सुरुचि का प्रचार हुआ। प्रदेश के बेसिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में उद्योगों के साथ तत्सम्बन्धित कला उनका अनिवार्य अंग है।

बुनियादी प्रशिक्षण-संस्थाएँ

जूनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों का प्रशिक्षण नार्मल स्कूलों में होता है। यह पहले कहा जा चुका है कि ये स्कूल बेसिक शिक्षण-पद्धति का अनुसरण करते

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

हैं। इनमें प्रत्येक दीक्षार्थी को कम-से-कम दो उद्योग सीखने होते हैं। महिलाओं को गृह-विज्ञान अनिवार्यरूप से सीखना होता है। १९५५-५६ ई० से इन स्कूलों की प्रशिक्षण-अवधि दो साल की कर दी गयी है, ताकि उद्योगों के अध्ययन के लिए पर्याप्त समय मिले। इन स्कूलों के पाठ्यक्रम को और भी परिवर्तित करने की आवश्यकता है जिससे दीक्षार्थियों को बेसिक उद्योगों के सीखने और समवाय-पद्धति में वैज्ञानिक निपुणता प्राप्त करने का मौका मिले। ऐसा करने से ही बढ़ाये गये समय का सदुपयोग हो सकेगा। इस समय प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक नार्मल स्कूल है। इन स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम योग्यता सीनियर बेसिक अथवा कोई समकक्ष परीक्षा है। पर यह अनुभव किया जा रहा है कि इन दीक्षा-विद्यालयों में प्रवेश पाने की न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष कोई परीक्षा हो, क्योंकि कक्षा आठ पास विद्यार्थी बेसिक के पाठ्य-क्रम का अध्यापन नहीं कर पाते। प्रदेश में जूनियर ट्रेनिंग कालेज नाम के प्रशिक्षण विद्यालय भी हैं जिनमें प्रवेश पाने की न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश के सभी नार्मल स्कूलों को इन्हीं संस्थाओं के समकक्ष कर दिया जाय।

प्रदेश में तीन जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज लखनऊ, इलाहाबाद और मुजफ्फरनगर में हैं। ये विद्यालय सन् १९५४ ई० में भारत-सरकार की सघन विकास-योजना (सख्या १, उपयोजना २) के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये थे। इन संस्थाओं में प्रवेश पाने की न्यूनतम योग्यता इन्टरमीडिएट है। ये विद्यालय हायर सेकेण्डरी स्कूलों, चुने हुए सीनियर बेसिक स्कूलों तथा नार्मल स्कूलों के लिए अध्यापक तैयार करते हैं। इन कालेजों में खेती, उद्योग तथा सामुदायिक कार्य के लिए उचित प्रबन्ध है। इन संस्थाओं में ट्रेनिंग का समय बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया गया है। इन संस्थाओं में प्रत्येक विद्यार्थी को कम-से-कम एक मुख्य उद्योग और एक गौण उद्योग में विशेष दक्षता प्राप्त करनी होती है और ४० समवाय-पाठ और १५ योजना-पाठ पढ़ाने पड़ते हैं। इन कालेजों में सामुदायिक कार्य पर बड़ा जोर दिया गया है जो शिक्षण और परीक्षण दोनों का विषय है। दीक्षार्थी अपना सब काम अपने हाथ से करते हैं और उन्हें दीक्षाकाल में एक महीने किसी ग्राम में जाकर प्रसार-कार्य करते हुए सामुदायिक जीवन व्यतीत करना होता है। इन कालेजों का स्तर पर्याप्त ऊँचा है और इनसे निकले हुए विद्यार्थी प्रदेश में जहाँ भी मौका मिल रहा है बेसिक शिक्षा का अच्छा काम कर रहे हैं।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बसिक शिक्षा

जुलाई सन् १९५४ ई० में ही पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ के भी पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया और उसमें भी सामुदायिक जीवन पर बल दिया गया। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह हुआ कि दीक्षार्थियों के मूल्यांकन में संस्था का काफी हाथ रखा गया, क्योंकि यह निरन्तर अनुभव किया जा रहा था कि बेसिक शिक्षा के विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संस्था द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि उसमें प्रायोगिक कार्यों की प्रमुखता है। इस परिवर्तन का अच्छा प्रभाव पड़ा है। इस महाविद्यालय के निम्नांकित उद्देश्य हैं :—

१—बेसिक प्रशिक्षण-संस्थाओं के लिए अध्यापक प्रशिक्षित करना।

२—सीनियर बेसिक स्कूलों और हायर सेकेण्डरी के लिए अध्यापक प्रशिक्षित करना।

३—बेसिक स्कूलों के लिए निरीक्षकों को तैयार करना।

४—बेसिक शिक्षा-पद्धति में सुधार के लिए नये प्रयोग करना और नयी पद्धतियाँ विकसित करना।

५—बेसिक संस्थाओं के लिए उचित सामग्री तैयार करना।

६—अध्यापकों के पथ-प्रदर्शन के लिए साहित्य तैयार करना और प्रकाशित करना।

७—बेसिक शिक्षा की समस्याओं को सुलझाना।

इस महाविद्यालय की प्रशिक्षण-अवधि १ वर्ष की है। यह बेसिक ट्रेनिंग कालेज पहले इलाहाबाद में था, जहाँ से स्थानान्तरित होकर लखनऊ आ गया है। पर इसके पास कृषि के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है और न अपना भवन ही है। अतः इसे किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने का विचार हो रहा है।

बेसिक ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ में सामाजिक विषय के समवाय पर शोध-कार्य हो रहा है। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में यही एक ऐसा विषय है, जिसका भली-भाँति अनुबंधित शिक्षण नहीं हो पाता। इसलिए समवाय करने की दृष्टि से इस विषय के पाठ्यक्रम को दोहरा कर सामाजिक विषय का एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसे बालक के सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण से अनुबंधित कर पढ़ाया जा सके। यह पाठ्यक्रम बालक के घर, स्कूल और पास-पड़ोस को केन्द्र मानकर तैयार किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम को बेसिक ट्रेनिंग कालेज से संलग्न आदर्श विद्यालय में परीक्षण कर प्रदेश के अन्य विद्यालयों में लागू किया जायगा।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

बेसिक शिक्षा

इस महाविद्यालय में एक दूसरा कार्य "मल्टिपल् क्लास-टीचिंग" अर्थात् एक ही अध्यापक द्वारा एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाने के विषय पर हुआ है। इस सिलसिले में एक टाइम-टेबुल तैयार किया गया है जिसे प्रदेश के सभी स्कूलों में वितरित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जो पुस्तिका तैयार की गयी है उसका पर्याप्त स्वागत हुआ है। भारत-सरकार ने भी उसकी प्रशंसा की है।

इस संस्था में एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम कक्षा ५ और ६ के बच्चों की रुचि, थकान और उत्पादन-क्षमता की दृष्टि से विभिन्न शिल्पों के लिए समय-विभाजन की समस्या का निराकरण निकाल रहे हैं। इस योजना को चलाने के लिए भारत-सरकार के शिक्षा मंत्रालय से दो वर्ष के लिए अनुदान मिला है।

सेवारत-प्रशिक्षण

यह अनुभव किया गया है कि बेसिक शिक्षा के उचित संचालन और विकास के लिए दीक्षा-विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों को बेसिक शिक्षा-पद्धति-सिद्धान्तों से अवगत कराना चाहिए। इसके लिए बुनियादी शिक्षण सम्बन्धी गोष्ठियाँ और सेवारत-प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस प्रकार का सेवारत-प्रशिक्षण निरीक्षक वर्ग के लिए और भी आवश्यक हो इसकी व्यवस्था की गयी है। सहायक उप-निरीक्षक वर्ग का प्रशिक्षण जू० बेसिक ट्रेनिंग कालेज, प्रयाग और उप-निरीक्षक वर्ग का प्रशिक्षण बेसिक ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ में हो रहा है। दीक्षा-विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण भी बेसिक ट्रेनिंग कालेज लखनऊ और मुजफ्फरनगर जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेजों में हो रहा है।

बेसिक शिक्षा के लिए साहित्य-निर्माण

साहित्य-निर्माण की दिशा में सबसे उपयोगी और महत्व का कार्य जूनियर बेसिक स्कूलों के लिए अनुबंधित पाठ्यक्रम और निर्देशिका का तैयार करना है। इस पुस्तिका में कृषि और कताई-बुनाई के उद्योगों को केन्द्र मानकर शैक्षिक अनुबंधित शिक्षण की योजना प्रस्तुत की गयी है। निर्देशिका में पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों (भाषा, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विषय) पर विस्तृत सूचना परिशिष्टों के रूप में दे दी गयी हैं। इस प्रयास का भी बड़ा स्वागत

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

हुआ है । बिभाग शीघ्र सीनियर बेसिक स्कूलों के लिए भी ऐसा अनुबंधित पाठ्यक्रम और निर्देशिका तैयार करने की योजना बना रहा है । यह अनुबंधित पाठ्यक्रम क्रिया-केन्द्रित पाठ्यक्रम का अच्छा नमूना है । बेसिक स्कूलों के लिए इस प्रकार के क्रिया-केन्द्रित पाठ्यक्रम का अधिक महत्व है । यह अनुबंधित पाठ्यक्रम शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित हुआ है ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

हमारा शिक्षण-साहित्य

शिक्षण हाथ पुस्तिका	अजिल्द	सजिल्द
१. शिक्षा दर्शन	०-७५	१-००
२. बेसिक शिक्षा	१-५०	२-००
३. शिक्षा में खेल-खिलौने	१-००	१-५०
४. पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री	२-००	२-५०
५. भारतीय बाल-चित्रांकन		३-००